ISSN : 23202467

युगान्तर

अन्तरराष्ट्रीय शोध पत्रिका

आरती पब्लिशिंग हाउस एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स

आरती पब्लिशिंग हाउस एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स

युगांतर अंतर्राष्ट्रीय शोध–पत्रिका

हेड ऑफिस : ए–5, क्रिश्चियन कॉलोनी, पटेल चेस्ट, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली–110007

मो॰ 9455251733, 9918156392, Website: www.theyugantar.in

Email:Akhilesh_tiwari1979@yahoo.com, santoshtiwari05712@gmail.com

वर्ष 2019 – अंक 30
जनवरी 2019

युगांतर अंतर्राष्ट्रीय शोध–पत्रिका
(A Peer-Reviewed Research Journal)
यू.जी.सी. द्वारा अनुमोदित पत्रिका सं. 64649

ISSN : 2320-2467

संपादक : संतोष कुमार तिवारी

प्रधान–सम्पादक : हरि प्रकाश शुक्ल

सह–सम्पादक : प्रो. आनंद प्रकाश त्रिपाठी, डॉ. हरि सिंह गौर – केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

सम्पादक मण्डल :
प्रो. मिथिला प्रसाद त्रिपाठी (पूर्व कुलपति) – संस्कृत विश्वविद्यालय, उज्जैन
प्रो. राधावल्लभ त्रिपाठी (पूर्व कुलपति) – संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली
प्रो. हुकुम चन्द, विभागाध्यक्ष, संगीत, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा
डॉ. कमलेश कुमारी
प्रो. बी.एन. भालेराव – दिल्ली
डॉ. रुचिरा डिंगरा – दिल्ली
डॉ. ललिता त्रिपाठी – भोपाल
डॉ. कविता भाटिया – दिल्ली
डॉ. सीता लक्ष्मी – विशाखापट्टनम्
डॉ. आचार्य एस. शेपारत्नम् – आंध्र विश्वविद्यालय
डॉ. प्रतिभा पांडे – मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
प्रो. आभा रूपेन्द्र पाल –पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़
प्रो. शुभ जोहरी – आर.टी.एम. विश्वविद्यालय, नागपुर
प्रो. जे.पी. मिश्रा – रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर
डॉ. शिवदयाल सिंह – महर्षि विश्वविद्यालय, अजमेर
डॉ. मो. शाकिर शेख – विभागाध्यक्ष, पूना कॉलेज
डॉ. गोपाल कृष्ण शर्मा – विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
डॉ. राकेश राणा, एमएमएच पीजी कॉलेज, गाजियाबाद
डॉ. रेखा अरोड़ा – दिल्ली

प्रमुख प्रवासी सम्पादकीय सलाहकार समिति :
डॉ. विजय कुमार मेहता – अध्यक्ष, अखिल विश्व हिन्दी समिति, न्यूयॉर्क, अमेरिका
प्रो. सत्येन्द्र श्रीवास्तव – कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज (यू.के.)
डॉ. शेर बहादुर सिंह – विश्व हिन्दी सेवी, न्यूयॉर्क, अमेरिका
डॉ. पद्मेश गुप्त – अध्यक्ष, यू.के. हिन्दी समिति, लंदन
डॉ. सुषमा बेदी – कोलम्बिया युनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क
प्रो. हेमराज सुन्दर – महात्मा गांधी संस्थान, मोका, मॉरिशस
स्नेह ठाकुर – संपादक वसुधा, टोरण्टो, कनाडा
उषा राजे सक्सेना – उपाध्यक्षा, यू.के. हिन्दी समिति, लंदन
डॉ. सुरेश चन्द्र शुक्ल – अध्यक्ष इण्डो नाईजीरियन सूचना एवं सांस्कृतिक मंच
डॉ. ऊषा देवी शुक्ला – डर्बन विश्वविद्यालय, डर्बन (दक्षिण अफ्रीका)
अपर्णा क्षीरसागर – डॉफिन विश्वविद्यालय, पेरिस, फ्रांस

आरती पब्लिशिंग हाउस एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स

युगांतर अंतर्राष्ट्रीय शोध–पत्रिका

हेड ऑफिस : ए–5, क्रिश्चियन कॉलोनी, पटेल चेस्ट, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली–110007

मो॰ 9455251733, 9918156392, Website: www.theyugantar.in

Email:Akhilesh_tiwari1979@yahoo.com, santoshtiwari05712@gmail.com

डॉ. घनश्याम शर्मा – वेनिस विश्वविद्यालय, इटली

रामप्रसाद भट्ट – हैम्बर्ग विश्वविद्यालय, जर्मनी

डॉ. पूर्णिमा बर्मन – यू.ए.ई.

प्रो. तजेन्द्र शर्मा – अमेरिका (यू.के.)

इस पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं की मौलिकता का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व लेखकों का है। आलेखों में व्यक्त विचार लेखकों की अपनी अभिव्यक्ति है। युगांतर अन्तर्राष्ट्रीय शोध–पत्रिका अथवा सम्पादक मण्डल का उनसे सहमति होना आवश्यक नहीं है। युगांतर शोध–लेख, मूल प्रकाशन एवं मंगवाने हेतु निम्न पते पर सम्पर्क करें। (कृपया लेख ई–मेल के माध्यम से ही स्वीकार किया जायेगा।)

Editor in Chief

युगांतर शोध–पत्रिका

युगांतर अंतर्राष्ट्रीय शोध–पत्रिका
खंड–8, अंक–30, वर्ष–2019 (जनवरी, 2019) आईएसएसएन : 2320–2467, आईएफः 5.2

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	विषय	पृ.सं.
1.	''समाज में महिलाओं की भूमिका'' – डा0 निधि मिश्रा	**1-03**
2.	भारत की विदेश नीति : अफगानिस्तान के विशेष संदर्भ में – डा0 मधुकांता समाधिया	**04-09**
3.	1857 की क्रांति और बेगम हजरत महल – डॉ. सी. एल. महावर	**10-13**
4.	''वागड़ में भीलों के लोकगीतों की ऐतिहासिक झलक'' – डॉ. प्रेमचन्द डाबी	**14-18**
5.	राजस्थान की प्रमुख घुमन्तु जनजातियां – डॉ. लोकेश पारगी	**19-21**
6.	Contemporary Challenges to India's Foreignpolicy - Anuradha	**22-28**
7.	महिला सशक्तीकरण, शिक्षा, आर्थिक क्षेत्र तथा राष्ट्र निर्माण में डा. बी.आर. अम्बेडकर का योगदान – सुरेन्द्र सिंह	**29-36**
8.	जनजातीय सामाजिक संगठन, अपराध एवं विद्रोह का एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण – डॉ. हेमलता माहवार	**37-42**

युगांतर अंतर्राष्ट्रीय शोध–पत्रिका
खंड–8, अंक–30, वर्ष–2019 (जनवरी, 2019) आईएसएसएन : 2320–2467, आईएफः 5.2

''समाज में महिलाओं की भूमिका''

डा0 निधि मिश्रा
असिस्टेंट प्रोफेसर, मनोविज्ञान
का.सु. साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अयोध्या।

वैदिक काल में महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त थे–सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और धार्मिक। तमाम वैदिक ऋचाओं की रचना में भी अपाला, गार्गी, मैत्रैयी आदि का नाम लिया जाता है। सत्यकाम–जावाल के कथानक से स्पष्ट है कि वैदिक समाज में अविवाहित माँ को स्वीकृति प्राप्त थी। वौद्ध काल में महिलायें धर्म प्रचारक के रूप में विदेश गई थीं इसका उल्लेख इतिहास में है। कालान्तर में महिलाओं को घर की चहारदीवारी में बन्द कर दिया गया। चूल्हा चौका और बच्चे पैदा करना यही सीमा तय कर दी गई। सदियों बीत गई। समय के अंधकार में महिला खो गई। विधवा होना या सती होना यही प्रारब्ध था।

19वीं शताब्दी में राजा राममोहन राय (1774–1833), ईश्वरचन्द्र विधासागर (1820–1871), दयानन्द सरस्वती (1827–1883), केशवचन्द्र सेन (1838–1884) के प्रयासों से और उसके बाद महात्मा गांधी और आजादी के आन्दोलनों के माध्यम से 20वीं शताब्दी में महिलाओं के सामाजिक और शैक्षिक उन्नयन के लिये सार्थक प्रयास हुये। आजादी के बाद पं0 जवाहर लाल नेहरू ने अपने समकालीन साथियों के विरोध के बावजूद हिन्दू कोड बिल को टुकड़ों–टुकड़ों में पास करवा कर महिला अस्मिता के विकास को एक नया आयाम दिया। नेहरू का यह प्रयास महिला विकास के सन्दर्भ में मील का पत्थर साबित हुआ। सामाजिक परिवर्तन के घूमते चक्र के कारण महिलाओं को परंपरागत रूढ़िवादी भूमिका से काफी हद तक मुक्ति मिल गई है। अब महिलाएं मात्र गृहणी की ही भूमिका तक सिमटी नहीं है बल्कि पूर्ण स्त्री के रूप में सहज देखी जा सकती है।

सामाजिक परिवर्तनों का असर शहरी शिक्षित महिलाओं में और उसमें भी विशेष रूप से मध्यम वर्ग की महिलाओं पर अधिक पड़ा है। महिलाओं को अपने व्यक्तित्व को निखारने तथा अधिकार जताने के नए अधिकार प्राप्त हुए है। भारतीय ग्रामीण महिलाएं न सिर्फ घरेलू कामकाज की जिम्मेदारी रखती है बल्कि पुरूषों के साथ खेतों में भी काम करती है। इस प्रकार महिलाएं घर की चारदीवारी से बाहर निकल कर आय सृजित करने में लगी है। इससे उनकी व्यक्तिगत आकांक्षाओं की भी पूर्ति होती है। कामकाजी महिलाओं को घर और नौकरी दोनों की भूमिका को निभाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मार्क्स ने कहा था कि ''स्त्रियों की सामाजिक प्रगति को ठीक ठाक से मापा जा सकता है।''

आज का परिदृश्य उत्साहवर्धक है। सम्पत्ति का अधिकार, तलाक, विधवा, विवाह मान्य हो चुके हैं। बाल विवाह बन्द हैं, किन्तु खेद है कि आज भी राजस्थान में अक्षय तृतीया के दिन बाल–विवाह धूम धाम से होते हैं, समाज के दिग्गज उसमें शरीक होते हैं। कानून आँख बन्द कर लेता है। अपनी हैसियत और हस्ती बताने के लिये औरत को अभी बहुत सारे बन्धनों से आजादी पानी है। कुमारी–श्रीमती जैसे शब्दों से, बिन्दी, सिन्दूर, करवाचौथ, अहोई आढ़े, जेबर, साज–श्रृंगार जैसी पुरूषवादी और सामन्ती बेड़ियों से आजादी और इनको बढ़ावा देने वाली गृहशोभा, बनिता जैसी पत्रिकाओं से जिनके पहले कबर पृष्ठ से अन्तिम कबर पृष्ठ तक के सौन्दर्य बोधक विज्ञापनों से भी आजादी।

यदि महिलायें कुछ हुनर जानती हैं तो वह पूरी जान से मेहनत करके परिवार का भरण पोषण करने में अपना खून–पसीना एक कर देती हैं। पुरूष को मानसिक सम्बल प्रदान करती हैं। पुरूष जब तमाम झंझाबातों से टूट जाता है तो महिलायें चट्टान की तरह हालात का सामना करती नजर आती है। परिवार का आधार महिला ही है–

औरत न हो तो घर में अंधेरा रहे सदा,
चूल्हा न जले भूख का डेरा रहे सदा।

बच्चे अनाथ डोलें तो बूढ़े रहें पड़े,
डगर–मवेशियों के भी बाड़े रहे सड़े।।

प्रसिद्ध समाजशास्त्री प्रो. आभा अवस्थी ने कहा, ''स्त्री पुरूष एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नही वरन् पूरक है। उनकी भूमिकाएँ उनकी अपेक्षाएँ और प्रकृति परस्पर सहिष्णुता, समरसता, सद्भाव और सहदयता का संदेश दे सकते हैं, समाज के लिये दोनों की समान अनिवार्यता है।''

भारतीय अर्थ व्यवस्था का आधार बिन्दु कृषि है। कृषि क्षेत्र में महिला श्रम का महत्वपूर्ण स्थान है।

औरत न हो तो कौन नलाई करे भला,
खुर्पी लगाये कौन, गुड़ाई करे भला?
फिर धान रोपने का नहीं आदमी में दम,
औरत न हो तो उनके निकल जाये सारे खम।

कोई भी इमारत बने, सड़क, पुल, कारखाने, मशीन कहाँ नही है औरत के श्रम की भागीदारी।

सामाजिक बेड़ियों के खिलाफ आवाज बुलन्द की 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय महिला आन्दोलन की नायिका रमाबाई ने। तेरह साल की उम्र में की गई शादी को नकारते हुये कहा ''कच्ची उम्र के रिश्ते'' को पक्का मानने को वह तैयार नहीं है। तमाम विरोध और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद रमाबाई ने अपना अस्तित्व बनाये रखते हुये सामाजिक संचेतना में महिला के अस्तित्व को स्वीकार कराया।

वैश्विक स्तर पर महिला योगदान की चर्चा करें तो सन् 1909 में अमेरिका में कपड़ा व अन्य फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं ने पहली बार 'महिला दिवस' बनाया। उनकी मांग थी– (1) श्रम कानूनों में परिवर्तन (2) 8 घंटे का कार्य दिवस एवं (3) वोट देने का अधिकार। सन् 1910 में क्लारा जेटकिन एवं रोजा लग्जमवर्ग से सामूहिक रूप से ''अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस'' मनाये जाने का प्रस्ताव रखा। महिलाओं की मुक्ति के संकल्प और हर तरह से शोषण मुक्त दुनिया बनाने के लिये 1913 से अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 1917 में महिला आन्दोलन में 'शान्ति–जमीन और रोटी' को भी शामिल किया गया। शान्ति, जमीन और रोटी का सामाजिक महत्व महिला अस्मिता से जुड़ा है, तभी तो परिवार की केन्द्रीय भूमिका में स्त्री है। 'बिन घरनी घर भूत का डेरा', जैसे कथनों के साथ ही, 'जिस घर में बिटिया नहीं, उस घर की देहरी सूनी रह जाती है।' उस घर में रौनक नहीं होती, समाज की इकाई परिवार में महिला के महत्व और उसकी भूमिका को उजागर करती है।

मुंशी प्रेमचन्द्र ने लिखा है ''स्त्री पुरूष से उतनी ही श्रेष्ठ है, जितना प्रकाश अंधेरे से। मनुष्य के लिये क्षमा, त्याग और अहिंसा जीवन के उच्चतम आदर्श है, नारी इन आदर्शों को प्राप्त कर चुकी है।

शिक्षा की रोशनी में समाज की बेड़ियों से आज की लड़की जूझ रही हैं। आनर किलिंग की परवाह किये बगैर खाप पंचायतों को चुनौती देती सामाजिक परिवर्तन की राह प्रशस्त कर रही है। खेत–खलिहान, कारखाने से लेकर देश और दुनिया के हर क्षेत्र में मुस्तैदी के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा समाज को एक नई दिशा देने को प्रयासरत है, आज की महिला। निर्भया आन्दोलन के वक्त दिल्ली की छात्राओं ने चीखकर कहा था–'हमारी स्कर्ट से ऊँची हमारी आवाज है, हमें चाहिये बेखौफ आजादी'। इसके परिणाम स्वरूप बने नवीन यौन उत्पीड़न कानून की बजह से देश के तमाम नेता, अभिनेता, विधायक, सांसद, प्रोफेसर, डाक्टर, पत्रकार, सन्त–महात्मा और तमाम संप्रभुओं को जेल जाना पड़ा।

विकलांग हैं हम, तो क्या कर लेगा ऐवरेस्ट, मुझे तो एवरेस्ट फतह करना है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में टॉप भी करना है, विकलांगता के बावजूद हमें अपना हक प्राप्त करना आता है। खेल के मैदान में, संगीत के क्षेत्र में, सिनेमा–थियेटर, साहित्य जगत में, छोटे, व्यापार से लेकर कारपोरेट सेक्टर तक, देश–दुनिया की राजनीति के हर क्षेत्र में और शासन प्रशासन में प्रभावी हस्तक्षेप के साथ आन्तरिक सुरक्षा से लेकर देश की सुरक्षा के प्रत्येक सेक्टर में परिवर्तन की बयार लेकर आ चुकी है महिला। इरोम शर्मिला, तसलीमा नसरीन, अरून्धनि राय, मेधा पाटकर, महाश्वेता देवी, मैत्रेयी पुष्पा, अरुणिमा, मलाला यूसुफ जई, मेरीकाम, इरा सिंघल यह फेहसिस्त बहुत लम्बी हैं, इन सभी के अप्रतिम संघर्ष से सामाजिक परिदृश्य और विमर्श कुछ बदला जरूर है, लेकिन समाज के पुरुषवादी हिस्से की सोच अभी नहीं बदली है। पर रास्ता निकलेगा, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन में महिलाओं ने अभी तक जितनी भूमिका उजागर

की है वह तो झरोखा भर है। डगर बहुत आगे तक जायेगी। सफदर हाशमी ने बहुत पहले कह दिया था–

हर खासो– आम गौर से सुनना ये कहानी,
औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी।।
देखो हम महिलाओं को जो आ गई हैं सामनें,
मिल जाओ हमारे संग, ये सैलाव है, रुक न पायेगा।

कुछ वर्षों से महिलाओं की जीवनशैली में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं, जिनसे उनके व्यवहार मूल्य संवेदनाओं तथा प्रेरणा शक्ति ही प्रभावित नहीं हुई बल्कि आज वे जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में पुरूषों के कंधे से कंधा मिलाकर भागदारी कर रही हैं। सामाजिक परिवर्तन के कारण महिलाओं को रूढ़िवादी भूमिका से काफी हद तक मुक्ति मिल गई है।

अंततः ''नारी'' विधाता की सर्वोत्तम और नायाब सृष्टि है। नारी प्रकृति एवं ईश्वर द्वारा प्रदत्त अद्‌भुत ''पवित्र साध्य'' है, जिसे महसूस करने के लिए पवित्र साधन का होना जरूरी है।

सन्दर्भ

1. कथकली बागची / मिनी फिलिप – स्त्रियां लुप्त क्यों हो रही है, स्त्री के लिये जगह, सम्पादक–राजकिशोर, वाणी प्रकाशन, 1994, पृ0–105
2. कविता कृष्णन – महिला आन्दोलन, समकालीन जनमत, मार्च 2010, पृ0 4–6
3. पाण्डुरंग बामन काणे – धर्मशास्त्र का इतिहास, उ0प्र0 हिन्दी संस्थान लखनऊ पृ0 313–314
4. B.Kuppuswany - The Change in the status of women, in Social Change in india, Vikash, 1979, P. 239-265
5. B.R.Nanda - "Indian women form to Modernity" Vikas Pub. New Delhi 1976.
6. डा० सतीष चन्द शर्मा – ''बेहतर दुनिया की तलाश''

युगांतर अंतर्राष्ट्रीय शोध–पत्रिका
खंड–8, अंक–30, वर्ष–2019 (जनवरी, 2019) आईएसएसएन : 2320–2467, आईएफः 5.2

भारत की विदेश नीति : अफगानिस्तान के विशेष संदर्भ में

डा0 मधुकांता समाधिया
सहायक प्राध्यापक–राजनीति विज्ञान
पं. जवाहरलाल नेहरू पी.जी. कालेज,
बाँदा, उ.प्र.।

वर्तमान युग में सभी राष्ट्रों की एक–दूसरे से भौगोलिक दूरी पर स्थित होते हुए भी संचार से आधुनिक साधनों द्वारा निकल आ गये हैं। विश्व के किसी भी भाग में घटने वाली घटना अन्य राष्ट्रों पर प्रभाव अवश्य डालती है। इसी कारण वैदेशिक संबंधों को संचालित करने के लिए एक श्रेष्ठ विदेश नीति की आवश्यकता होती है।

सभी राष्ट्र किसी न किसी कारण से एक–दूसरे पर आश्रित हैं एवं राज्यों की एक–दूसरे पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। राजनीतिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, सैनिक इत्यादि हितों की अभिवृत्ति के लिए सभी राष्ट्र निरंतर प्रयासरत हैं। प्रत्येक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए विदेश नीति का निर्धारण करते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हैं कि विदेशों के साथ किस प्रकार के संबंध रखे जाएं। इसके लिए उन्हें कुछ कार्य करने होते हैं और कुछ अन्य कार्यों से दूर रहना होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं संप्रभुता की रक्षा करना प्रत्येक राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। विदेशी नीति निर्माण का प्रारंभिक बिन्दु राष्ट्रीय हित है। इसी के माध्यम से अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन हितों को निश्चित किया जाता है। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित निश्चित करता है और फिर विदेश नीति द्वारा उनको प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। यह अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के वातावरण में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वहितकारी नीतियों का समूह है। किसी भी देश की विदेश नीति दूसरे देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विषयों पर पालन की जाने वाली नीति है, जिसके माध्यम से प्रत्येक राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने संबंधों का निर्वहन करते हैं। इनके द्वारा अपनायी जाने वाली विदेश नीति से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस राष्ट्र के क्या–क्या राष्ट्रीय हित हैं, वह किस प्रकार उन्हें सुरक्षित रखना एवं विकसित करना चाहता है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को विदेश नीति ही शुद्ध आधार प्रदान करती है।

भारत एक विस्तृत भू–भाग एवं विशाल जनसंख्या वाला देश है। भारत के पास एक अति प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति की धरोहर है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत की जिस विदेश नीति कानिर्माण किया गया वह हमारेदेश की सभ्यता, संस्कृति एवं राजनीतिक परम्पराको प्रतिबिम्बित करती है। भारतीय विदेश नीति मूलरूप से गाँधी जी के दर्शन, हमारे स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों एवं भारतीय परम्परा के मौलिक सिद्धांत 'वसुधैव कुटुम्बकम' (समस्त विश्व एक परिवार के समान है) पर आधारित है। भारत की विशेष नीति का संचालन उसकी सभ्यता की परम्परा, भू–राजनीतिक स्थिति, मिश्रित संस्कृति, देश की सामूहिक नीतियों एवं कार्यक्रमों से हो रहा है। भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक परम्परायं एवं भूतकालीन अनुभव भारतीय विदेश नीति के निर्माण में प्रभावक तत्व है। वैश्वीकरण के युग में एक देश के राष्ट्रीय हित को उसकी भू–राजनीतिक स्थिति एवं अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण से अलग करना अत्यंत कठिन है। किसी भी अन्य राष्ट्र की तरह भारतीय विदेश नीति भी निरंतर अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होती रहती है। भारत की विदेश नीति का विश्व की राजनीति पर गहरा प्रभाव है। भारतीय विदेश नीति घरेलू कारकों के साथ–साथ अन्तर्राष्ट्रीय कारकों से भी निर्धारित होती है। ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कारकों ने संस्कृतियों के एक जटिल सम्श्रिण का निर्माण किया, जिन्होंने विवाद एवं समझौते को जारी रखते हुए हमारे देश की विदेश नीति को प्रतिबिंबित किया। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक, स्वतंत्रता आंदोलन, समाज के बहुलवादी रूप के साथ–साथ सहनशीलता, अहिंसा, साध्य एवं साधनों जैसे परम्परावादी मूल्य भारत की विदेश नीति को दूरदर्शिता प्रदान करते हैं।

दक्षिण एशिया के राष्ट्रों में भारत का स्थान सर्वोच्च है एवं इसे दक्षिण की प्रधान शक्ति माना जाता है। दक्षिण एशिया में भारत की यह स्थिति पड़ोसी देशों के साथ संबंध निर्माण में चुनौती पस्तुत करती है। भारत द्वारा हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ सदैव मधुर एवं मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का प्रयत्न

किया गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा इन पड़ोसी देशें के प्रति पृथक नीति का निर्माण नहीं किया गया। भारत के प्रमुख पड़ोसियों में जहाँ पाकिस्तान और चीन को सम्मिलित किया गया तो वहीं श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान को। इस विभाजन में केन्द्रीय या गौण व अन्य किसी भी प्रकार के विभाजन का अर्थ यह नहीं है कि कुछ पड़ोसी राष्ट्र भारतीय विदेश नीति के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। इन सभी पड़ोसी राष्ट्रों का अपना अलग–अलग स्वरूप में महत्व है। वे विभिन्न संदर्भों में विदेश नीति को प्रभावित करते हैं और हमेशा भविष्य में भी करते रहेंगे। सभी पड़ोसी देशों के साथ सुदृढ़ एवं मित्रतापूर्ण संबंधों के आधार पर ही भारत की दक्षिण एशिया एवं विश्व में स्थिति का आंकलन किया जा सकता है।

भारत–अफगानिस्तान एक–दूसरे के पड़ोस में स्थित दो प्रमुख दक्षिण एशिया के देश एवं दोनों दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) के भी सदस्य हैं। दोनों के बीच प्राचीनकाल से ही गहरे संबंध रहे। महाभारत काल में अफगानिस्तान के गंधान जो वर्तमान समय में कंधार है, की राजकमारी का विवाह हस्तिनापुर (वर्तमान दिल्ली) के राजा धृतराष्ट्र से हुआ था। भारत द्वारा हमेशा यहाँ आर्थिक, मानवीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की गई।

सत्रहवीं शताब्दी में अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए और उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में वे इस देश के शासक बन बैठे। भारत ने औपनिवेशिक शासक का शांतिपूर्ण संघर्ष किया और 15 अस्त 1947 को स्वतंत्र होकर एक सम्प्रभुता सम्पन्न राज्य बना। भारत के अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य बनते ही विश्व में उपनिवेशवाद के उन्मूलन की प्रक्रिया आरम्भ हो गयी। भारत ने एशिया–अफ्रीका के देशों में उपनिवेशवाद–विरोधी तथा साम्राज्यवाद विरोधी सघर्ष का पूर्ण समर्थन किया। स्वतंत्र भारतीय विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई गई और अफगानिस्तान के शासक जहीर शाह द्वारा वर्ष 1933–73 में इसी नीति पर अमल किया गया। अफगानिस्तान के पुर्ननिर्माण एवं विकास में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होने के साथ–साथ दोनों लोकतांत्रिक एवं स्थायी सरकार के समर्थक हैं। ऐतिहासिक रूप से अफगानिस्तान के साथ भारत के अच्छे आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंध रहे, किन्तु 1996 से 2001 में तालिबान शासक के दौरान संबंधों में गिरावट आई। नेपाल से आई.सी–814 (कंधार–संकट) विमान अपहरण और कुछ कुख्यात आतंकवादियों को छुड़वाने की तालिबान शासन की मांग इसका उदाहरण है। इस शासन की समाप्ति के बाद भारत ने अफगानिस्तान से अपने संबंधों को फिर से प्रगाढ़ करना शुरू किया। 1998 में भारत द्वारा अफगानिस्तान में आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने एवं आतंकवाद की स्थायी स्थली बनाने का घोर विरोध किया अर्थात् तालिबान सरकार द्वारा अलकायदा एवं पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षण कार्यों में संलग्न होना भारत की सुरक्षा के लिए खतरा माना। भारत ने पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान–तालिबान को सैन्य, कूटनीतिक एवं नैतिक समर्थन देने का विरोध किया। भारत–तालिबान सरकार के बीच संबंधों में गिरावट एवं कटता के पीछे पाकिस्तान का हाथ था जिसने 1996 में तालिबान को सत्तारुढ़ करवाने में हर प्रकार से मदद की। सितंबर 1996 से पूर्व भारत–अफगानिस्तान में वुराहुद्दीन रब्बानी सरकार का समर्थन रहा। तालिबान द्वारा काबुल से सत्ता हथियाने के बाद भारत उत्तरी गठबंधन को अपना कूटनीतिक एवं नैतिक समर्थन देता रहा। उत्तरी गठबंधन में अपदस्थ राष्ट्रपति रब्बानी, उज्जेक नेता रशीद दोस्तम, अहमदशाह मसूद–प्रमुख नेता थे। भारत सरकार ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी क्योंकि पाकिस्तान इस सरकार को भारत के खिलाफ एक हथियार के रूप में काम में लेता रहा। कश्मीर में उग्रवाद को रूप देने में अफगान विद्रोहियों का प्रमुख हाथ रहा जिसे पाकिस्तान द्वारा प्रेरित एवं उत्साहित किया गया। तालिबान की भारत विरोधी नीतियों से अफगानिस्तान एवं भारत के बीच 1996 से उसके पतन 2001 तक संबंधों मं इतनी गिरावट आ चुकी थी कि भारत ने काबुल में अपने दूतावास कार्यालय को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया। 1996 से 2001 क चले आ रहे बर्बरतापूर्ण तालिबान शासन का 07 दिसंबर 2001 को अंत हो गया। तालिबान लड़ाकों ने अंतिमतः काबुल में अमरीकी सेना के समक्ष समर्पण किया। दिसंबर 2001 में हामिद करजई अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने। 07 दिसंबर 2001 में गृहमंत्री युनुस कानूनी नई दिल्ली यात्रा पर आये। उन्होंने अफगानिस्तान में कानून व्यवस्था एवं राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के विभाग के विकास में भारत से मदद का अनुरोध किया एवं इस बात पर भी विशेष बल दिया कि भविष्य में अफगानिस्तान में आतंकवाद को पनपने से पहले ही उखाड़ फंका जायेगा। भारत सरकार द्वारा अफगानिस्तान के पुर्ननिर्माण में भारत के सहयोग को दोहरा कर काबुल में अपना दूतावास खोल दिया गया। 26–27 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री करजई भारत आने पर भारत के राष्ट्रपति आर.के नारायणन

एवं प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा भारत–अफगान संबंधों में प्रगाढ़ मैत्रीयुग की शुरूआत कर अफगान के आर्थिक पुर्ननिर्माण मं ठोस सहयोग एंव सहायता करना सुनिश्चित किया।

अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसकी सीमा ईरान, पाकिस्तान, चीन, मध्य एशियाई देशों एवं भारत के भूभाग से मिलती है। भारत–अफगान के मध्य संबंध तो वैदिक काल से ही स्थापित हैं किंतु इन दोनों के मध्य कई उतार–चढ़ाव देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान का पड़ोसी एवं मध्य एशिया का देश होने के कारण अफगानिस्तान भारत के सामरिक हितों की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। भारत–अफगान के मध्य प्राचीनकाल से ही घनिष्ठ व्यापारिक–सांस्कृतिक संबंध रहे, किंतु फिर भी स्वतंत्रता के पश्चात् पिछली शताब्दियों में दोनों के राजनीतिक संबंधों में कई प्रकार के दौर आए। फिर भी वर्तमान अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता समाप्त होने के बाद से युत–जर्जर एवं आतंकवद से त्रस्त अफगानिस्तान के पुर्ननिर्माण में सहायता प्रदान करने वाला भारत प्रमुख देश रहा। तद्नुरूप भारत–अफगान के राजनीतिक संबंधों को भी नए आयाम मिले। 21वीं सदी में दोनों के संबंध फिर से मजबूत हो गये। 04 अक्टूबर 2011 में अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई की भारत यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह के साथ सामरिक मामले, खनिज संपदा की साझेदारी, तेल और गैस की खेज पर साझेदारी संबंधी तीन समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। भारत द्वारा अफगानिस्तान के साथ कई प्रकार के विकासीय समझौते करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर हमेशा एक–दूसरे का समर्थन किया। यह बिन्दु उल्लेखनीय है कि अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के मध्य आरंभ से ही 'डुरण्ड रेखा; को लेकर विवाद था। अफगानिस्तान के अनुसार पाकिस्तान एक नया राज्य है, ब्रिटिश साम्राज्य का उत्तराधिकारी नहीं इसलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का पुर्ननिर्धारण होना चाहिए। वर्ष 1973 में मोहम्मद दाऊद के प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने 'डुरण्ड रेखा' के मुद्दे पर आक्रामक दृष्टिकोण अपनाया।

वर्ष 1978 में प्रधानमंत्री दाऊद की सत्ता मार्क्सवादी समर्थित नेता नूरमोहम्मद तराकी ने पलट दी, परिणाम स्वरूप साम्यवादी शासन को बनाये रखने के लिए अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया। 27 दिसंबर 1979 को अफगानिस्तान में सोवियत सैनिकों का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप तथा वहाँ उनका 1988 तक बने रहना अफगान संकट को जन्म देता है। इसका तात्कालिक प्रभाव जहाँ एक ओर शीतयुद्ध की शुरूआत थी तो वहीं दक्षिण एशिया में भारत–पाकिस्तान के मध्य हथियारों की होड़ को तीव्रतम करना था। अफगानिस्तान महाशक्तियों के वैचारिक संघर्ष का अखाड़ा बन गया। इस संघर्ष के दौरान भारत ने मध्यमार्गी नीति अपनाकर अफगान की क्षेत्रीय एकता एवं अखंडता का समर्थन किया। अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति कार्टर द्वारा अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं के हस्तक्षेप की निंदा करते हुए इस प्रश्न को सुरक्षा परिषद में उठाया। 14 नवंबर 1985 एवं 04 नवम्बर 1988 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अफगानिस्तान में एक सर्वदलीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव लाया गया। भारत सहित 13 देशों ने इस प्रस्ताव में मतदान में भाग नहीं लिया। इस हस्तक्षेप ने भारत को दुविधापूर्ण स्थिति में डाल दिया। गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाते हुए भारत द्वारा अपने आपको किसी भी पहल से सम्बद्ध करने से इंकार किया गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन अफगान संकट का शिकार होते–होते बच गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता से 14 अप्रैल 1988 को जेनेवा समझौता–धरा सोवियत सैनिकों की वापसी एवं अमरीका–सोवियत द्वारा अफगान दलों या गुटों को किसी भी प्रकार की सहायता न दिये जाने का आश्वासन मिला। इस समझौते के संबंध में भारत द्वारा आशा व्यक्त की गई कि क्षेत्र में तनाव अत्याधुनिक हथियार जमा करने का बहाना समाप्त होने के साथ–साथ इन हथियारों को हटाने का काम भी शुरू होगा। वर्ष 1996 में पाकिस्तान समर्थिक तालिबानियों ने काबुल पर नियंत्रण स्थापित कर पाकिस्तान, सऊदी अरब एवंयू.ए.ई. तीनों राज्यों को मान्यताप्रदान की। संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय, भारत, रूस, ईरान, मध्य एशियाई राज्यों ने तालिबानी सरकार को मान्यता न देकर उत्तरी–गठबंधन के नेता रब्बानी को मान्यतादी। तालिबानियों का सत्ता में आना भारत के लिए चुनौतीपूर्ण था। इस कट्टरपंथी विचारधारा के कारण पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों का खतरा था। अगानिस्तान में सक्रिय आतंकवादियों द्वारा कश्मीर में भी सीमापार आतंकवाद को प्रोत्साहित किया जिससे अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान का विकास आतंकवाद के एक नए गढ़ के रूप में हुआ। तालिबान के कारण पाकिस्तान को अत्यधिक सामरिक लाभ हुआ। तालिबान की बढ़ती हुई गतिविधियों के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1998 मं तालिबान सरकार पर प्रतिबंध लगाए। कीनिया तथा तंजानिया में अमरीकी दूतावासों पर अलकायदा के बम विस्फोट के परिणामस्वरूप अमरीका ने भी तालिबान को प्रतिबंधित कर दिया। सितंबर 2001 में विश्व व्यापार केन्द्र पर

आतंकी हमले के पश्चात् अमेरिका ने 'आपरेशन इनड्यूरिंग फ्रीडम' आरंभ करतालिबान शासन का अंत कर दिया।

शीतयुद्ध के वैमनस्यपूर्ण वातावरण में केवल अफगानिस्तान ही एकमात्र देश था, जहाँ महाशक्तियाँ एक–दूसरे के साथ मिलकर परस्परिक सहयोग करने के लिए प्रयत्नशील थीं। इस अवधि में श्रीलंका, बर्मा, नेपाल को महाशक्तियों ने कुल मिलाकर जितनी आर्थिक सहायता दी उससे कहीं अधिक अकेले अफगानिस्तान ने ही प्राप्त की। अफगानिस्तान में सम–सामीत्य की प्रक्रिया विविधारूप रही। अमरीका ने ज्यों ही पाकिस्तान को सैनिक सहायता देना शरू की, अफगानिस्तान को अपनी प्रतिरक्षा की चिंता होने लगी। पख्तूनिस्तान के विवाद को लेकर पाकिस्तान से कभी भी युद्ध छिड़ सकता था। अतः अब अफगानिस्तान आर्थिक–सैनिक सहायता के लिए सोवियत संघ की ओर अभिमुख हुआ। सोवियत संघ से घनिष्ठता बढ़ाते हुए भी प्रधानमंत्री सरदार दाऊद ने स्पष्ट करने का प्रयत्न किया कि यदि अन्य महाशक्तियां अफगानिस्तान की सहायता करना चाहें तो उनका स्वागत है। वास्तव में अफगान–सोवियत सामीत को अफगान शासकों ने जिस नाटकीयता के साथ विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अमेरिका को वे अफगानिस्तान में रूचि दिखाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। एक बहुत बड़ी सीमा तक अफगान राजनीति सफल भी हुई, सोवियत सहायता के मुकाबले में अमरीकी सहायता कार्यक्रम भी चलने लगा। भारत ने अफगानिस्तान के प्रति तटस्थता के रूख को अपनाते हुए किसी भी देश द्वारा अफगानिस्तान के आतंरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की निंदा की।

पाकिस्तान के साथ भारत–अफगान संबंध सदैव अच्छे नहीं रहे, प्रधानमंत्री राजीव गाँधी द्वारा अफगानिस्तान के राष्ट्रपति नजीबुल्ला को दिल्ली आमंत्रित कर साहसिक कार्य किया गया। ऐसा करके भारत ने अमेरिका और पाकिस्तान दोनों को कूटनीतिक पराजय का अहसास दिलाने की चेष्टा की। अफगानिस्तान में स्थायित्व एवं विकास संबंधी मुद्दों की समीक्षा के लिए उसकी सहायता करने वाले देशों का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 20 जुलाई 2010 को काबुल में हुआ, जिसमें भारत, अमरीका, पाकिस्तान, ईरान के विदेश मंत्री शामिल हुए। भारतीय विदेश मंत्री एम.एम. कृष्णा द्वारा युद्ध प्रभावित इसदेश में स्थायित्व के लिए अफगानिस्तान के नेतृत्व का समर्थन किया गया।

भारतीय हितों के संदर्भ में अफगानिस्तान की भूमिका महत्वपूर्ण है। पारस्परिक रूप से दक्षिण एशिया और विशेषकर भारत–अफगान की सभ्यताओं में बहुत अधिक समानता रही। तालिबान के पतन से अफगानिस्तान में भारत की भूमिका में महत्वपूर्ण मोड़ आया। 9/11 की घटना के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तब भारत ने अमेरिका को गोपनीय सूचनाएं एंव अन्य सहायता प्रदान करने की पेशकश की। इतिहास में तालिबान शासनकाल को छोड़कर भारत–अफगानिस्तान के बीच हमेशा ही मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। भू–सामरिक स्थिति में होने के कारण अफगानिस्तान भारत के लिए अत्यधिक महत्व रखता है। आज भारत, अफगानिस्तान के पुनर्निमाण में सबसे अग्रणी देश है। अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए दिसंबर 2001 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रायोजित 21 देशों का सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ। भारत अफगानिस्तान को आर्थिक सहायता देने वाला 5वां बड़ादेश है। भारत द्वारा काबुल में हबीबी स्कूल, संसद के निर्माण में सहयोग, सलमा बांध शक्ति परियोजना, संचार, कृषि, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहायता उपलब्ध करवायी गई। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के अन्तर्गत भारत–अफगानिस्तान के मध्य सामरिक समझौता हुआ, जिसमें अफगानिस्तान भारत के साथ समझौता करने वाला पहला दक्षेस राष्ट्र है। 2011 में भारत ने अफगानिस्तान में शांति एवं स्थिरता बनाये रखने के लिए भारत, अफगानिस्तान एवं अमरीका नामक त्रिकोणीय बैठक का आयोजन किया।

भारत द्वि–पक्षीय विकास सहयोग को मान्यता देते हुए सामाजिक, आर्थिक और मानव संसाधन विकास के लिए अफगानिस्तान की सहायता कर रहा है। इन सहायताओं के अन्तर्गत परियोजनाओं के सकारात्मक प्रभावों के आधार पर दोनों देश एक महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी अगली पीढ़ी की 'नई विकास भागीदारी' पर कार्य कर रहे। दोनों देश 116 सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए सहमत हुए, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, पेयजल, खेल, नवीकरणीय ऊर्जा और प्रशासनिक संरचना के क्षेत्र शामिल हैं, अफगान शरणार्थियों के पुर्नवास के लिए कम लागत पर घरों का निर्माण एवं कंधार में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भारत ने सहयोग का विश्वास दिलाया। पंजाब के अमृतसर शहर में आयोजित छठे 'हार्ट ऑफ एशिया' दिसम्बर 2016 के दौरान भारत–अफगान

संबंधों में एक नई दृढ़ता और एकता देखने को मिली। इस सम्मेलन में अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क एंव भारत में केन्द्रित लश्कर–ए–तैयबा और जैश–ए–मोहम्मद स संबंधित आतंकियों को सुरक्षित शरण प्रदान करने के संदर्भ में पाकिस्तान की आलोचना की गई। अफगानिस्तान के सहयोग के लिए स्थापित इस संगठन के 14 देश चीन, ईरान, रूस, सऊदी अरब, पाकिस्तान सहित भारत भी शामिल है। इसमें आतंकवाद, ड्रग्स, गरीबी, कट्टरता इत्यादि विषय सम्मिलित हैं जिनसे अफगानिस्तान पीड़ित है। इस सम्मेलन का मूल विषय पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का विरोध एवं अफगानिस्तान का विकास था। वर्ष 2016 में इसका सम्मेलन अमृतसर में हुआ, जिसमें आतंकवाद को वैश्विक समस्या बताते हुए 'अमृतसर घोषणापत्र' जारी किया गया।

21वीं सदी में भारत–अफगानिस्तान के राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक, रणनीतिक संबंधों को नवीन आयाम प्रदान करने की कोशिश की जारही है ताकि भारत का पड़ोसी अफगानिस्तान वर्तमान के वैश्विक युग में एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरकर विश्व के सामने आये। अफगानिस्तान काफी लम्बे समय तक राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजरा, जिसके कारण उसकी शैक्षणिक एंव आर्थिक व्यवस्था जर्जर हो चुकी थी। अफगानिस्तान में पाकिस्तान का स्थायी एजेंडा वहाँ अपनी सामरिक पहुँच बनाना है, तो भारत का भी स्थायी लक्ष्य स्पष्ट है कि अफगानिस्तान के विकास में लगे करोड़ों डालर व्यर्थ न जाने पाए, काबुल में मित्र सरकार बनी रहे, ईरान–अफगान सीमा तक निर्बाध पहुंच रहे और वहाँ के वाणिज्य दूतावास काम करते रहें। इसके लिए भारत को यदि अपनी कूटनीति में बदलाव करने भी पड़े तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि समय की यही मांग है।

कई चुनौतियों के बावजूद भारत–अफगान संबंध पहले से अधिक मजबूत हुए हैं। अफगानिस्तान में निरंतर पुनर्निमाण और सामाजिक आर्थिक विकास की भारतीय नीति इस युद्धगस्त देश में शांति और समृद्धि लाने में मदद की। अफगानिस्तान मं भारत की छवि आज भी सबसे लोकप्रिय देश के रूप में है। इन दोनों देशों को संबंधों की नई दिशा में आगे बढ़ने के साथ–साथ छोटी–बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा।

भारतीय विदेश नीति के अनुसार अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आतंकवादियों की उपस्थिति भारत सहित समूचे विश्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है, इसीलिए भारत अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक और स्थायी सरकार का समर्थक है। वर्तमान समय में भारत अफगानिस्तान के विकास में सक्रिय सहायता है, किंतु भारत का झुकाव किसी एक समूह के साथ है। भारत ने अपनी विदेश नीति में मध्य एशिया को जोड़ने की नीति अपनाकर अपनी स्थिति को और अधिक सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया।

भारत–अफगान संबंध बेहद मजबूत और मधुर हैं, भारत–अफगानिस्तान में अरबों डालर लागत वाले कई मेगा प्रोजेक्ट्स पूरे कर चुका है और कुछ पर अभी भी काम चल रहा है। अफगानिस्तान के शीर्ष नेता समय–समय पर भारत दौरे पर आते रहते, किंतु फिर भी समय–असमय ऐसी गतिविधियाँ भी होती रहती हैं जो दोनों देशों के संबंधों में चुनौती प्रतीत होती हैं। अफगानिस्तान में भारत मानवीय और विकासशील परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध है, किंतु सुरक्षा के मसलों पर क्या कुछ किया जा सकता है, यह अभी भारत के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। इस देश के विकास कार्यों के अलावा भारत को अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी क्षेत्रीय सहयोग बनाने की आवश्यकता है।

इसके लिए परस्पर लाभप्रद दीर्घकालीन सुरक्षा एवं आर्थिक उन्नति के समीकरण बनाने का कार्य करना होगा। भारत की एकता और अखण्डता के बचाव के लिए राष्ट्रीय रक्षा की क्षमता विकसित करनी होगी, जिसमें भारत किसी एक देश या ग्रुप पर आश्रित न हो। समग्र रूप से हमारा उद्देश्य यथासंभव किसी प्रकार का विरोध किए बिना या अलग हुए बिना विकास करना एवं अपनी शक्ति को बढ़ाना है। वैदेशिक स्थिति के संदर्भ में कूटनीतिक कौशल चतुराई और लचीलेपन की आवश्यकता है, जिससे कि सर्वोच्च स्थिति प्राप्त की जा सके। निष्पक्ष और न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था तैयार करने के लिए इक्कीसवीं सदी में भारत की विदेश नीति का प्रयोजन यही होना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ –

1. अन्तर्राष्ट्रीय संबंध : तपन बिस्वाल, मैकमिलन पब्लिशर्स, नई दिल्ली संस्करण–2010, पृष्ठ 91
2. वही, पृष्ठ 94

3. वही, पृ. 152
4. अन्तर्राष्ट्रीय संबंध : प्रो. बी.एम. जैन, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर संस्करण–2017 पृ. 265
5. अन्तर्राष्ट्रीय संबंध : डा. एस.सी. सिंहल, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा संस्करण–2019, पृ. 354
6. वही, पृ. 374
7. राजनीति विज्ञान : एक समग्र अध्ययन राजेश मिश्रा, गोल्डन पिकॉक पब्लिकेशन्स, दिल्ली, संस्करण–2017, पृ. 613
8. अन्तर्राष्ट्रीय संबंध : मुन्द्रिका प्रसाद, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली संस्करण–2005, पृ. 155
9. स्वतंत्र भारत की विदेश नीति : डा. मुनेश कुमार, डिस्कवरी पब्लिशिंक हाउस, प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, संस्करण–2010, पृ. 206
10. वही, पृ. 212

युगांतर अंतर्राष्ट्रीय शोध–पत्रिका
खंड–8, अंक–30, वर्ष–2019 (जनवरी, 2019) आईएसएसएन : 2320–2467, आईएफः 5.2

1857 की क्रांति और बेगम हजरत महल

डॉ. सी. एल. महावर
सह–आचार्य, हिन्दी विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चितौड़गढ़

वे महिलाएँ जो अपनी देश भक्ति के कारण जानी जाती हैं। उनमें रानी लक्ष्मीबाई के बाद जो दूसरा नाम सामने आता है वह नाम है बेगम हजरत महल का। पति के मृत्यु के पश्चात् बहुत नारियों ने रणभूमि में तलवारें चलायी है, लेकिन पति की जीवित अवस्था में उसकी अकर्मण्यता के कारण कुशल शासन व्यवस्था एवं सैन्य संचालन करने में बेगम हजरत महल उदाहरण स्वरूप है। 1857 की क्रान्ति में इनका नाम बड़े गर्व से लिया जाता है।

हजरत महल एक नर्तकी थी। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह विलासी स्वभाव का व्यक्ति था। वह हजरत महल की सुन्दरता पर मोहित होकर उन्हें अपनी बेगम बना लिया और 'महकपरी' के सम्मान से नवाजा। यही 'महकपरी' आगे चलकर सल्तनत–ए–अवध की 'जनाब–ए–आलिया' बनी।[1] बेगम हजरत महल के पिता अम्बर फर्रुखाबाद के नवाब गुलाम हुसैन खां के गुलाम तथा माता मेहर अफजा नवाब गुलाम हुसैन खाँ की ख़वास थी। 1857 में पूरे राष्ट्र में अंग्रेजों के विरूद्ध क्रान्ति फैल चुकी थी। लेकिन उत्तर भारत के अवध क्षेत्र में यह क्रान्ति जोरों पर थी। लखनऊ, दिल्ली एवं कानपुर क्रान्ति के प्रमुख केन्द्र थे। लखनऊ में क्रान्ति का ध्वज बेगम हजरत महल फहरा रही थी और उस ध्वज को फहराने में सहयोग कर रहे थे फैजाबाद के मौलवी अहमदशाह। लखनऊ के आसपास के हजारों वर्ग किमी० का क्षेत्र अवध कहलाता है।

बेगम हजरत महल को अवध के सारे क्रान्तिकारी अपना नेता मान लिए थे। अवध पहले मुगल शासन का एक सूबा था। मुगल शासन जब कमजोर हो गया तो अवध एक स्वतंत्र राज्य बन गया और लखनऊ उसकी राजधानी।[2]

1847 में अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह गद्दी पर विराजमान था। वह कविता, संगीत, नाच गाने में डूबा रहने वाला और शासन के प्रति लापरवाह रहने वाला व्यक्ति था। वह तारा, गंजीफा और शतरंज खेलने का भी शौकीन था। इसके खिलाड़ी उसे हमेशा घेरे रहते थे। वह अपने मंत्रियों से दो–दो तीन–तीन सप्ताह के बाद मिलता था, वह भी अल्प अवधि के लिए। 13 फरवरी, 1848 को चीफ कमिश्नर सर जेम्स आरटरम ने उन्हें तख्त से उतार दिया।[3]

अंग्रेजों के साथ उसके पूर्वजों की एक संधि के अनुसार शासन की असली कुंजी कम्पनी के पास थी। सैन्य व्यवस्था भी कम्पनी के हाथों में थी। नवाब की लापरवाही के कारण अंग्रेजों ने रियासत के खजाने को भी अपना बना लिया।

लार्ड डलहौजी ने यह नीति बनायी ही थी कि निःसंतान मरने वाले राजाओं की रियासतें हड़पने तथा नाबालिग और गोद लिए हुए पुत्रों को अधिकार न देकर उन राज्यों को कम्पनी के अधिकार में ले लिया जाता था। इस तरह डलहौजी देशी रियासतों को अंग्रेजी राज्य में मिलाने में लगा हुआ था। कानपुर और झाँसी की घटनाएँ इसका मुख्य प्रमाण थी। झांसी के राजा के मरने के बाद उनके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं माना गया और बिठूर के पेशवा बाजीराव के मरने पर उनके दत्तक पुत्र नाना साहब को पेंशन स्वीकृति नहीं की गयी। इसी नीति के तहत अवध को हड़पने के लिए वाजिद अली शाह पर शासन के कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर उसे देश निकाला दे दिया गया और मुटिया ब्रिज कोलकाता भेज दिया गया। 1854 में आस्ट्रम को रेजीडेंट बनाकर अवध भेजा गया। कम्पनी के हाथों में पूरी तरह अवध की बागडोर हो जाए, इस हेतु लार्ड डलहौजी ने नवाब से एक संधि करनी चाही लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया। कहा जाता है कि अंग्रेजों की इस संधि पर नवाब द्वारा हस्ताक्षर न करने के पीछे बेगम हजरत महल की प्रेरणा थी। बेगम नवाब को समय–समय पर राजकाज के प्रति लापरवाही बरतने के लिए फटकारती भी रहती थी।

लखनऊ की सल्तनत खराब होने के उपरान्त वहां की राजव्यवस्था अव्यवस्थित हो गयी। इसका प्रमाण 5 अप्रैल,1857 को मोन्ट गुमरी द्वारा लिखे गवर्नर जनरल के पत्र में मिलता है। पिछले सारे रिकार्ड यहाँ के लोगों ने नष्ट कर दिये हैं, जिससे प्रशासन में कठिनाई आ रही थी। इसी प्रकार हेनरी लारेंस ने भी 18 अप्रैल 1857 को जनरल को पत्र प्रेषित किया कि नवाब की तीस हजार सेना अवध में इधर–उधर घूम रही है। इससे सावधान रहने की बहुत जरूरत है।[4] सल्तनत की सेना को रेजिडेन्ट ने भंग कर दिया था। फलस्वरूप वह बेरोजगार हो गये और उनमें असंतोष का भाव जाग गया था। उनके असंतोष के पीछे बेगम हजरत महल का असंतोष जुड़ा था।

7 मई को मुसा बाग, लखनऊ की दो सैनिक टुकड़ियों ने अपने अंग्रेज कमान्डर की आज्ञा का उल्लंघन किया। 10 मई को मड़ियाऊ छावनी की एक पलटन ने अपने अंग्रेज अधिकारियों पर बन्दूकें उठा दीं, परन्तु बेलीगारद के पास इसकी सूचना गुप्त रूप से पहले ही पहुँच गई, जिसके कारण विद्रोही सैनिकों को तुरन्त बन्दी बना लिया गया। इससे जन–आक्रोश में वृद्धि हुई। लखनऊ की सड़कों पर 'जय बजरंग बली' तथा 'अल्लाह हो अकबर' के संयुक्त नारे लगने लगे।

2 जुलाई को कैप्टन विल्सन तथा 4 जुलाई 1857 को हेनरी लारेंस मारे गये। 5 जुलाई, 1857 को अंग्रेजों की हार के बाद बेगम का भाग्य जागा। बेगम हजरत महल ने अपने 11 वर्षीय पुत्र विरजिस कादर को अवध का नवाब घोषित किया और स्वयं 'जनाबे आलिया' का खिताब हासिल करके राजकाज सम्भालने लगी।[5] अपनी बेगम कोठी को उन्होंने सैन्य मुख्यालय बनाया और लखनऊ के सभी मोर्चों को दुरुस्त करना शुरू किया। दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर के नाम स्वतंत्रता का पैगाम भिजवाया। हिन्दू राजा बालकृष्ण राव को अपना वजीरे आजम बनाया। हिन्दू–मुसलमानों को बिना किसी भेदभाव के उनकी काबिलियत के अनुसार अमीर उमरावों के पद दिये और शासन की बागडोर को मुख्य रूप से स्वयं संचालित किया। सैनिकों की सुविधा के लिए उनके वेतन में वृद्धि की और मुक्ति सेना की मदद हेतु अपने खजाने खोल दिये। मुक्ति सेना के लोग अंग्रेजों को हानि पहुँचाने में लगे हुए थे। बेगम हजरत महल ने धन और जन से क्रान्तिकारियों की बहुत सहायता की। धन और जन से सहयोग करने के साथ–साथ रानी ने स्वयं भी युद्ध के मैदान में क्रान्तिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों से युद्ध किया। विशेष बात ये थी कि उन्होंने महिलाओं के लिए भी एक मुक्ति सेना गठित की और उन्हें युद्ध कला की शिक्षा प्रदान की जाने लगी, ताकि समय पड़ने पर देश की आजादी में वो भी अपनी वीरता प्रदर्शित कर सकें। बेगम हजरत महल के कुशल शासन प्रबन्ध का उल्लेख करते हुए लेफ्टिनेंट बीवेन ने कहा है 'दिल्ली विजय के बाद कलकत्ता से कानपुर तक उनका कहीं कोई खास विरोध नहीं हुआ, परन्तु वीरांगना हजरत महल ने लखनऊ की इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी कि तीन अंग्रेज टुकड़ियाँ मिलकर भी लखनऊ में प्रवेश नहीं कर सकी।'[6]

बेगम हजरत महल को राजमाता की पदवी प्राप्त हो चुकी थी। बहादुरशाह जफर ने बिरजिस कादर को सनद भी दी और 'सफीरुद्दौला' की उपाधि भी। इतिहासकार बेवरिज लिखते हैं– 'बेगम इन्कलाब की रुह थी और हिम्मत हारना नहीं जानती थी।' 'टाइम्स' का संवाददाता रसिल लिखता है– 'वह अपने बादशाह पति से अच्छी मर्द थी।'[7]

16 जुलाई को अंग्रेजों का नामो निशान मिटाने के लिए बेलीगारद पर हमला किया गया। बेगम हजरत महल से उनकी सौतनें एवं उनका दरोगा जलन वश उनकी सफलता में बाधक बनने लगे और सारी सूचनाएँ दुश्मनों को देने लगे।

21 सितम्बर को अहमदशाह ने आलमबाग के मोर्चे पर अंग्रेजों को धूल चटा दी। कलकत्ता में फोर्ट विलियम को उड़ा देने की योजना बना ली गयी थी, लेकिन नवाब को कैद से छुड़ा लेने की यह योजना भी विश्वाशघातियों की वजह से असफल हो गई। 15 फरवरी, 1858 को अहमदशाह घायल हो गए। वजीरे आजम मारे गए। सेना बिखर गई। बची हुई सेना के हौसले बुलन्द करने के लिए बेगम स्वयं युद्धभूमि में उतर आयीं। महिला सेना भी पाछे नहीं रही। बेहद बहादुरी से उन्होंने युद्ध लड़ा, लेकिन विश्वासघातियों के कारण लखनऊ उनके हाथ से निकल गया।

वैसे तो 25 सितम्बर, 1857 को ही अहमद बाग की रेजीमेण्ट को अंग्रेजों ने मुक्त करा लिया था, लेकिन उस पर अधिकार नहीं कर पाए थे। बेगम ने आजमगढ़, जौनपुर और इलाहाबाद आदि पर अधिकार

करने के लिए क्रान्तिकारियों को आदेश दे दिया था, लेकिन दिल्ली और कानपुर की हार के कारण सैनिकों के हौसले मन्द पड़ गये थे। मार्च के प्रारम्भ में कालिन कैम्पबेल और आउट्रम की कमान में अंग्रेज सैनिकों ने लखनऊ पर घातक हमले किये। 16 मार्च, 1858 को अंग्रेजों ने बेगम कोठी एवं केसर बाग पर तथा 21 मार्च को सम्पूर्ण लखनऊ पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था।[8]

बेगम हजरत महल अपने सेनापति अहमदशाह के साथ लखनऊ में अंग्रेजों के घेरे से सुरक्षित बाहर निकल गई। उन्होंने नदी–घाटों, रसद पहुँचाने वाले मार्गों तथा अंग्रेजी चौकियाँ तोड़ने के लिए युद्ध जारी रखा, लेकिन अवध प्रान्त का मैदानी इलाका छापामार लड़ाई के लिए अनुकूल न होने के कारण सफलता नहीं मिली। इधर नाना साहब और बेगम को अंग्रेज सैनिक उत्तर की ओर भगा रहे थे और दूसरी तरफ अंग्रेजों का मिहू राजा जंगबहादुर उन्हें नेपाल में प्रवेश करने से रोक रहा था। इस समय बेगम के साथ उनका बेटा बिरजिस कादर भी साथ था। 6 हजार सैनिक और काफी धन भी उनके पास था। इसी बीच मौलवी अहमदशाह ने शाहजहाँपुर पर कब्जा कर लिया। जब अंग्रेजों ने कैंपबेल में अहमदशाह को घेरा तो बेगम और नाना साहब ने उन्हें छुड़ा लिया। बाद में एक गद्दार ने इनाम के लोभ में अहमदशाह का सिर काटकर अंग्रेजों को दे दिया। मौलवी अहमदशाह बड़ी तन्मयत्ता के साथ हजरत महल का साथ दिये थे। ये पहले फैजाबाद में रहते थे, बाद में लखनऊ में रहने लगे।

अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया। डर बना हुआ था कि कहीं हजरत महल को भी अंग्रेज बंदी न बना लें।

बेगम हजरत महल हिन्दुस्तान में अंग्रेजों की गुलामी में आराम की जिंदगी जीने से अच्छा दूसरे देश में साधारण जिंदगी जीना समझी। काफी मुश्किलों के बाद उन्हें नेपाल में रहने की इजाजत मिली।[9]

1857 की क्रान्ति की असफलता के पश्चात् महारानी विक्टोरिया ने भारत की बागडोर अपने हाथ में ले ली और 1 नवम्बर,1858 को उनके जारी घोषणा–पत्र पर कई राजाओं ने अंग्रेजों से संधि कर ली। बेगम को हिन्दुस्तान आकर आराम की जिन्दगी जीने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार की ओर से भेजा गया। लेकिन स्वाभिमानी बेगम ने लखनऊ में अंग्रेजों की अधीनता में रहना पसन्द नहीं किया।[10]

नेपाल–शासक से नाम मात्र का गुजारा भत्ता पाकर वो वहीं बस गयीं। नेपाल में 'बर्फ–बागश नाम का अपना छोटा–सा महल भी बनवाया, जिसमें मस्जिद एवं इमामबाड़ा भी था। बेगम हजरत महल जब तक जीवित रहीं अपने स्वाभिमान की रक्षा करती रहीं। इस देशभक्त महिला की मृत्यु अप्रैल,1859 में हुई। जिसे श्बर्फ–बागश की मस्जिद के अहाते में दफनाया गया।[11]

बेगम हजरत महल के बारे में कार्ल मार्क्स लिखते हैं– हजरत

महल–अवध की बेगम ने हिन्दुस्तानी कौमी जद्दोजहद आजादी में 1857–59 तक मुजाहिद्दीन की कयादत की।"[12] (मास्को में प्रकाशित श्फस्ट इंडियन वार आफ इन्डिपेन्डेन्स 1857–59)

संदर्भ ग्रंथ सूची –

1. आशारानी व्होरा, महिलाएं और स्वराज, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1999, पृ. सं. – 57
2. मीरा जैन, भारत की वीरांगनाएं, विद्या विहार, दरिया, नई दिल्ली, 1985, पृ. सं. – 40
3. नुसरत नाहीद, भारतीय मुस्लिम वीरांगनाएं, राना प्रिंटर्स, जम्बूखाना, लखनऊ, 1999, पृ. सं. – 47
4. मुरारी लाल, स्वतंत्रता आन्दोलन में क्रांतिकारी महिलाएं,रजनी प्रकाशन, दिल्ली,1998, पृ. सं. – 86
5. आशारानी व्होरा, महिलाएं और स्वराज, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1999, पृ. सं. – 58
6. मुरारी लाल, स्वतंत्रता आन्दोलन में क्रांतिकारी महिलाएं, रजनी प्रकाशन, दिल्ली, 1998, पृ. सं. – 88
7. नुसरत नाहीद, भारतीय मुस्लिम वीरांगनाएं, राना प्रिंटर्स, जम्बूखाना, लखनऊ, 1999, पृष्ठ संख्या – 49–50
8. मुरारी लाल, स्वतंत्रता आन्दोलन में क्रांतिकारी महिलाएं, रजनी प्रकाशन, दिल्ली, 1998, पृष्ठ संख्या – 89

9. सत्यनारायण गहमरी, शहीद स्मारिका, पूर्वांचल विकास संस्थान, गाजीपुर, पृष्ठ संख्या – 21
10. सुधा गोस्वामी, भारतवर्ष की चर्चित महिलाएं, उपकार प्रकाशन, आगरा, पृष्ठ संख्या – 145
11. मुरारी लाल, स्वतंत्रता आन्दोलन में क्रांतिकारी महिलाएं, रजनी प्रकाशन, दिल्ली, 1998, पृष्ठ संख्या – 90
12. नुसरत नाहीद, भारतीय मुस्लिम वीरांगनाएं, राना प्रिंटर्स, जम्बूखाना, लखनऊ, 1999, पृष्ठ संख्या – 51

युगांतर अंतर्राष्ट्रीय शोध–पत्रिका
खंड–8, अंक–30, वर्ष–2019 (जनवरी, 2019) आईएसएसएन : 2320–2467, आईएफः 5.2

''वागड़ में भीलों के लोकगीतों की ऐतिहासिक झलक''

डॉ. प्रेमचन्द डाबी
पी.डी.एफ., इतिहास विभाग
मो.ला.सु. विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)

भील भारत की आदिवासी जातियों में से एक प्रमुख जाति है। जनसंख्या की दृष्टि से जनजातियों में भील जनजाति प्रथम स्थान रखती है। भील जनजाति प्रमुख चार राज्यों मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में पाई जाती है। इन्हीं चार राज्यों की सीमाओं पर भीलों का जमावाड़ा देखने को मिलता है इसलिये ये चार राज्य भीलों के घर माने जाते है।

राजस्थान में भील क्षैत्र का फैलाव व्यापक है लेकिन इनका बाहुल्य राज्य के दक्षिण भाग में ज्यादा देखने को मिलता है। दक्षिण राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा जिलों में भील सर्वाधिक निवास करते है।

भील समुदाय भिन्न–भिन्न राज्यों में अनेक जनजातियों का द्योतक है जैसे बारेला, भागलिया भील, भील गरासिया, भील–मीणा, भीलाला, धोली भील, डुंगरीया भील, भील गरासिया, पावरा भील, लंगुरिया भील, रावल भील, तंककर भील, वासवा भील, पटेलिया भील, तादवी भील, मावची भील, गमेती भील, गावित पदणी, पारधी, डांग, कोकणा, खानदेश, नायक, भीम, भील पचिमा, भील वालकी, राठिया भील प्रमुख है।

इन भील समुदाय में विद्वानों ने भीलों की अनेक उपजातियां (अटक) दिखाई है। मैंने अपने शोध के माध्यम से भीलों की करीब 100 उपजातियां खोज निकाली है।

भीलों की उत्पति के बारे में कई विद्वानों ने विभिन्न मत प्रकट किये है। कुछ विद्वान भील शब्द की उत्पति संस्कृत भाषा के बिल्ल शब्द से मानते है जिसके अर्थ ''छेद करना'', ''निशाना लगाना'' या ''मारना'' है। चूंकि भील लोग निशाना लगाने में दक्ष होते है अतः इसी कारण इन्हें भील कहा जाता है।

कुछ विद्वानों के अनुसार भील शब्द द्रविड शब्द ''बील'' या बिल्लू से बना है जिसका अर्थ धनुष अथवा कमान है। भील द्वारा धनुष धारण करने के लिए इन्हें भील कहा जाता है।[2]

भील शब्द का समानार्थी ''पालवी'' (पालव्या) शब्द है जो पाल (भील बस्ती) से उद्भूत है। राजस्थान में भील बस्तियों के लिये आमतौर पर ''पाल'' शब्द का प्रयोग किया जाता है जैसे भोराई पाल, बारापाल आदि।[3]

भीलों का इतिहास हमेशा गौरवपूर्ण रहा है इनका देश में कई स्थानों पर शासन व उनके ठिकाने रहे थे।[5] सर्वप्रथम देश में ये शासक वर्ग की गिनती में शुमार थे। राजस्थान में भीलों के द्वारा कई शहर बसाये गये है। कोट्या भील के नाम पर कोटा, कुशला भील के नाम पर कुशलगढ़, बांसीया भील के नाम पर बांसवाड़ा डूंगरीया भील के नाम पर डूंगरपुर बसा हुआ है।[4]

इस प्रकार गलिया भील के नाम से गलियाकोट, डोलिया भील द्वारा प्रतापगढ़ नाम से नगर बसे हुए है। भीलों द्वारा इन स्थानों की स्थापना करने का जिक्र उनके लोक गीतों में भी देखने को मिलता है।

बांसवाड़ा नो बासियो भील
कांटा नो कोटियो भील
जां जाय वां, भील नू राज 2
डुंगरपुर ना डुंगरीयो भील
प्रतापगढ़ नो डोलियो भील
जां जाय वां भील नू राज 2
बांसवाड़ा मां.....
गलिया कोट नो गलियो भील
कुशलगढ़ नो कुशलो भील

जा जाएं वां भील नू राज
बांसवाड़ा मां बासियो..... [6]

भारतीय इतिहास के पन्नों से ज्ञात होता है कि भील रणबांकुरो ने देश के अनेक हिस्सों पर अपना अधिकार स्थापित करके शासन किया तथा अपनी प्रबन्ध पटुता से राजनीतिज्ञों को एक बार नहीं वरन हजारों बार चकित किया था।[7]

इतिहास के पन्नों से यह भी ज्ञात होता है कि भील जाति ने जिन लोगों का साथ दिया और जिनका जीवन बचाया उन्हीं जातियों ने भीलों पर अत्याचार किये। अत्याचार भी ऐसा की जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। राजपुत राजाओं ने बार–बार भीलों पर आक्रमण कर वहां से भीलों को भगा दिया और वे वही बस गये।[8]

लेकिन समय की आवश्यकतानुसार भीलों की शोर्यवीरता को देखकर राजपुतों ने भीलों को अपना प्रिय बना लिया और भीलों ने भी राजपुतों को अपना राजा मान लिया।

कर्नल टॉड ने बापा रावल के राजतिलक के बारे में भी लिखा है कि बापा रावल को राजा बनाने में उसके साथियों में से दो भील थे। इन भीलों ने अपने वंशजों के द्वारा राजतिलक करने की परिपाटी अपनाई। बाद में बप्पा रावल के वंशजों को भी ये भील अंगूठे से राजतिलक करते थे।[9]

इस प्रकार इन घटनाओं से ज्ञात होता है कि राजपुत शासक अपने राज्य में भीलों को काफी महत्व देते थे तथा अपनी सत्ता में भागीदार बनाकर अपने राज्य को सुरक्षित रखने का प्रयास करते थे।

मध्यकालीन इतिहास में भी भीलों के अनेक संदर्भ पाये जाते है। भील समुदाय राजपुतों से काफी संबंधित रहा है। महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी की फौज में अनेक भील शामिल थे। हल्दीघाटी की लड़ाई में भीलों ने महाराणा प्रताप की मुगलों के विरोध में सहायता की।[10]

भीलों की राजपुत शासकों से निकटता एवं वफादारी के कारण मेवाड़ राज्य के राज्य चिन्ह में चित्तौड़ के किले की एक तरफ महाराणा प्रताप एवं दूसरी तरफ भील सरदार लक्षित है। इसके भीलों के उत्कर्ष एवं शक्तिमान होने का पता चलता है।

भीलों के मराठों के साथ सम्बंध अच्छे नहीं रहे। मराठों ने 1724 में मेवाड़ तथा 1728–29 में वागड़ (बांसवाड़ा–डूंगरपुर) में काफी लूटमार व अत्याचार किये जिसका खामियाजा गरीब भीलों को भुगतना पड़ा। पिण्डारियों ने भी भीलों के गांव बर्बाद कर दिये। पिण्डारियों की सूचना पाते ही भील अपने घरों, खेतों, खलिहानों को छोड़कर जंगलों में छीप जाते थे।

आर.वी. रसैल अपने ग्रन्थ में लिखता है कि ''मराठे एवं पिण्डारियों द्वारा भीलों को पकड़ने के बाद सैकड़ों भीलों को चट्टानों से फैंक दिया जाता। क्षमा करने के बहाने इकट्ठा कर इनके सिर कलम कर दिये जाते, बहुतों को बारूदों से उड़ा दिया गया। इनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया और बन्द कमरों में बन्द करके धुओं से घोट कर मारा गया।'' कर्नल टॉड व विलियम हंटर तथा मोरिस कास्टियर्स ने भी मराठा व पिण्डारियों द्वारा अत्याचारों को मार्मिक वर्णन किया है।

मराठा व पिण्डारियों द्वारा भीलों पर शोषण व अत्याचारों के बाद ब्रिटिश लोग भी इन अत्याचारियों में शामिल हो गये। भील अब गैर भील को अपना दुश्मन समझने लगे और उनके विरूद्ध अपनी सुरक्षात्मक गतिविधियां रात को करते थे। इसलिये अलेक्जेण्डर के. फोरेब उन्हें ''रात के सैनिक'' की उपाधि देते है।[11]

अंग्रेजों ने भीलों को दबाने के लिये ''मेवाड़ भील कोर'' भील एजेन्सी की स्थापना कर भीलों की शक्ति को कुचल डाला। इन सैनिकों ने भलों पर जानवरों सा व्यवहार किया उन पर कई प्रकार के कर लगा दिये।[12]

1818 के पश्चात देशी नरेशों ने ब्रिटिश कम्पनी से संधियां करने की प्रक्रिया शुरू की तो भील काफी नाराज हो गये। उन्होंने स्थानीय नरेशों को अंग्रेजी से संधि न करने के लिये चैताया और कहा कि इसके गलत परिणाम निकलेंगे। लेकिन देशी स्थानीय नरेशों ने भीलों की आवाज को नहीं समझ सकें। जिसका संदर्भ हमें लोक गीतों के माध्यम से सुनने में मिलता है।

राजा तने खबर नथी रे भूरो फरंगी आवे रे
भूरा भूरा पोंदा वालो रे भूरो फरंगी आवे रे
मेवाड़ ने पेले काठे रे भूरो फरंगी आवे रे
वागोड ने पेले काठे रे भूरो फरंगी आवे रे
अहमदाबाद ने पेले काठे रे भूरो फरंगी आवे रे
बन्दुका नी गोळी वाजे रे भूरो फरंगी आवे रे
हरिया नी हाण छुटे रे भूरो फरंगी आवे रे
भाला भळकता आवे रे भूरो फरंगी आवे रे
राजा तने खबर नथी रे भूरो फरंगी आवे रे[13]

भावार्थ : इस गीत में भीलों द्वारा गाया गया है कि हे राजा तुझे खबर नहीं, तु अभी भी नींद में सोया हुआ है। देशी नरेशों से ब्रिटीश कम्पनी के लोग संधिया करने आ रहे है। आप इनसे संधि मत करना। हम भील लोग आपके सहयोग के लिये हमेशा तैयार है ये अंग्रेज मेवाड़, वागड़ की सीमा पर पहुंच चुके है और आप अभी भी निद्रा में है।

अंग्रेजो का मुकाबला करने के लिये उस समय भीलों ने देशी नरेशों को चेताया तथा अंग्रेजों क खिलाफ लड़ने के लिये भीलों ने हथियारों का जुगाड़ करना प्रारंभ कर दिया तथा भीलों को एकजुट करने का प्रयास इस लोकगीत हमें देखने को मिलता है।

घुघेरी टीमण नो रईडो लाग्यो रे वालेमां
रतलाम वाळा कारीगर तने विदवुं रे वालेमां
ताजी ताजी तलवारें घडे आलजो रे वालेमां
तलवारां ने टेके लड़ाई लडहूं रे वालेमां
दाहोद वाळा लोवार तने विदवू रे वालेमां
गोफण, धारियां घड़ी आलजो रे वालेमां
गोफण ने टेके लड़ाई लडहू रे वालेमां
झाबुआ वाळा लुवार तने विदवूं रे वालेमां
हरियां कामठी घड़ी आलजो रे वालेमां
हरियां कामठी ने टेके लड़ाई लडहू रे वालेमां

भावार्थ – गीत में भीलों द्वारा गाया गया है कि हे भीलों अंग्रेजों द्वारा हमारे देशी नरेशों के साथ लड़ाई लड़ने वाले है। हमें उनकी सहायता के लिये तैयार रहना है। भीलों के गीत के माध्यम से रतलाम, झाबुआ, दाहोद, कुशलगढ़, डूंगरपुर से हथियार घड़ने वाले, तीर कमान बनाने वाले, सभी लोहारों को सुचित किया के आप हथियार बनाना शुरू कर दो आपके द्वारा बनाये गये हथियारों से ही लड़ाई लड़ कर हम विजय प्राप्त करेंगे।

भीलों पर होने वाले अत्याचार, शोषण के खिलाफ स्थानीय शासकों तथा अंग्रेजों के खिलाफ गोविन्द गीरी मानगढ़ में 1913 में करीब 1 लाख भीलों को सम्बोधित कर थे उस समय स्थानीय शासकों व अंग्रेजों ने मिलकर हमला कर दिया जिसमें करीब 1500 भील शहीद हुए। इस हत्याकाण्ड को वागड़ का जलियावाला बाग काण्ड कहा जाता है।[15]

भीलों में राजनैतिक एवं सामाजिक एकता को बनाये रखने के लिये गुरू गोविन्द गिरी के नेतृत्व में ऐतिहासिक लोकगीत गाया गया था। वह आज भी भीलों में काफी लोकप्रिय है जो निम्न है –

भूरेटिया हट नई मानू रे नई मानू
मानगढ़ मारी धूणी है बेणेश्वर मां मारा मन्दर है
भूरेटिया हट नई मानू रे नई मानू
अहमदाबाद मारी जाजम है बामणिये मारू भाषण है
भूरेटिया हट नई मानू रे नई मानू
बामणिये मारू भाषण है जयपुर मारी कलम है
भूरेटिया हट नई मानू रे नई मानू

जयपुर मारी कलम है दिल्ली मां मारी कुर्सी है
भूरेटिया हट नई मानू रे नई मानू[16]

भीलांचल में अंग्रेजों व सामन्तों द्वारा भीलों पर काफी अत्याचार एवं वेठ वगार कराया जाता था। यह दुखड़ा सुनकर मामा बालेश्वर दयाल 1930 के आस पास मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले के बामनिया आकर आंदोलन का केन्द्र बनाया और यहां से ही उन्होंने बांसवाड़ा डूंगरपुर, झाबुआ, दाहोद, पंचमहल, रतलाम, अलिराजपुर, प्रतापगढ़, में निवासरत भीलों के लिये कार्य प्रारंभ किया। भीलों में वे मामाजी के रूप में विख्यात हुए। उन्होंने अंग्रेजों व सामन्तों के खिलाफ आवाज उठाई। भील अंग्रेजों के राज में कितने दुःखी थे यह सब इस लोकगीत में देखने को मिलता है।

अंगरेजा ना राज मां करसाण वेठें घणी करतो रे।
वेठे घणी करतो करसाण कुकडां बोलतां उठतो रे।
कुकड़ा बोलतां उठाते करसाण लादोड़ो होरातो रे
लादाडो होरतो करसाण घोड़ां न पाणी पातो रे
बेठें घणी करतो करसाण घटियें दईणां दळतो रे
अगरेजां ना राज मां करसाण वेठे करतो रे

इस वेठ वगार के खिलाफ जब मामाजी ने अंग्रेजों के विरूद्ध आवाज उठाई तो भीलों ने उनके कार्यों को लोक गीतों में समाहित कर लिया। इस गीत में भील राजाओं को पूछ रहे है कि मामा बालेश्वर दयाल ठेट यू.पी. से आकर हमारे लिये लड़ाई लड़ रहे है पर आप हमारे राजा होकर चुप चाप बैठे है आप हमारे लिये लड़ नहीं रहे है। जो इस लोकगीत में देखने को मिलता है

बमणिया वाळी रेल मां रोळो मच्यू मामाजी
राजा ना रजवाड़ां कारे गमायां
हुरमल पुसेडा पुसे नाथू भाणेजां
राजां ना रजवाडां कारें गमाया
बमणीयां वाळी रेल मां रोळों मच्यू मामाजी
राजां नी रानीयें कारें गमायी
बमणीयां वाही रेलमां रोळों मच्यू मामाजी
राजां ना कुंवर कारे गमाया
बमणीया वाळी रेल मां रोळो मच्यू मामाजी
राजा नी तोपें कारें गमायी।[17]

देश की स्वतंत्रता के लिये गांधीजी के योगदान को भील कैसे भूल सकते है। आज भी भील शादी ब्याह सामाजिक तथा राष्ट्रीय पर्वों पर इस गीत को गाकर गांधीजी को श्रंद्धाजली देते है।

गांधीजी नो कायदो मने हारो वालो लाग्यो
भागेली झोपड़ी मां रेता – 2
घणा फोड़ा करीया रे गांधीजी नो कायदो मने हारो वालो लाग्यो
भागेली ठोमणीं मां खातां – 2
घणा फोड़ा करीया रे गांधीजी नो फायदो मने हारो वालो लाग्यो
सत्य नी ते वाट मां साल्या
घणा फोड़ा करीया रे गांधीजी नो कायदो मने हारो वालो लाग्यो
अहिंसानी ते वाट मां साल्या
घणा फोड़ा करीया रे गांधीजी नो कायदो मने हारो वालो लाग्यो[18]

देश में आज सबसे बड़ी समस्या है तो भ्रष्टाचार की। और भ्रष्टाचार से भील काफी शोषित हुआ है। देश की आजादी के बाद गांधीजी इस धरती पर नहीं रहे। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ महात्मा गांधी को याद करते हुए भील इस लोकगीत को गाते है और कहते है कि बापू इस दुनिया में, इस देश में जहाँ जाऊँ वहां भ्रष्आचार ही भ्रष्टाचार है कोई भी विभाग ऐसा न रहा जहां भ्रष्टाचार न हो।

दनियां मां जाऊं ते ठगारां नी मार बापू गांधी ओ बापू गांधी
स्कूला मां जाऊं ते मास्तरां नी मार बापू गांधी ओ बापू गांधी
डोगोरां मां जाऊं ते तरकडां नी मार बापू गांधी ओ बापू गांधी
कोरेट मां जाऊं ते वकीलां नी मार बापू गांधी ओ बापू गांधी
दाखाना मां जाऊं ते डाक्टरां नी मार बापू गांधी ओ बापू गांधी
आफिसां मां जाऊं ते बाबुजियां नी मार बापू गांधी ओ बापू गांधी
थाणा मां जाऊं ते सपाईयां नी मार बापू गांधी ओ बापू गांधी
गाड़ियां मां जाऊं ते कन्डेक्टर नी मार बापू गांधी ओ बापू गांधी
दनियां मां जाऊं ते ठगारां नी मार बापू गांधी ओ बापू गांधी

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. एम मोनियर विलियम्स – संस्कृत इंग्लिश डिक्सनरी, प्रथम संस्करण, 1899 पुनमुर्दण मोतीलाल, बनारसीदास, दिल्ली, 1963, पृ. 757
   – पलात रामचन्द्र, राजस्थान की वन विहारी जातियां, अ. 6, पृ. 96
2. राठौड़ अजेय सिंह, भील जनजाति शिक्षा और आधुनिकरण अ. 2, पृ. 22
   – श्री मेहता जोधसिंह, आदिवासी भील, पृ. 3–4, 7
3. मेहता प्रकाशचन्द्र, भारत के आदिवासी, 1994, शिवा पब्लिशर्स डिस्ट्री ब्यूटर्स हिरणमगरी, उदयपुर, राजस्थान
4. गोरी शंकर ओझा – राजपुताने का इतिहास, खण्ड – 3, भाग – 2, बांसवाड़ा का इतिहास, वैदिक यंत्रालय, अजमेर, 1937, पृ. – 107
   – प्रकाशचन्द्र मेहता – भारत के आदिवासी, पेज नं. 62, शिवा पब्लिशर्स, हिरणमगरी, उदयपुर
   – श्यामलदास, पूर्वाक्त, द्वितीय भाग, खण्ड – 2I, पृ. 1005
5. देवीलाल – भील देश राज्य एवं ठिकाने, एकलव्य आदिवासी प्रकाशन, जोधपुर, 1999
6. गांगजी कटारा, गांव झिकली, उम्र 95, साक्षात्कार दिनांक 10.12.2015, त. कुशलगढ़, जि. बांसवाड़ा (राज.)
7. श्री चन्द्र जैन – वनवासी भील और उनकी संस्कृति, पृ. 9
8. मोहनलाल जोड़ – भील संस्कृति, पृ. 33, प्रकाशक, जवाहर कला केन्द्र जयपुर
9. जॉर्ज कास्टैयर्स शेफर्ड ऑफ उदयपुर एंड द लैण्ड ही लण्ड, लंदन 1926, पृ. 25
10. वीर विनोद द्वितीय भाग, खण्ड 1, पृ. 153–155
11. एनल्स ऑफ द प्रोविन्स ऑफ द गुजरात इन वेस्टर्न इण्डिया, 1993, पे. 104
12. मोहनलाल जोड़ – भील संस्कृति पृ.0 24 जवाहर कला केन्द्र, जयपुर, 2015.
13. गांगजी कटारा, गांव झिकली, उम्र 95, साक्षात्कार दिनांक 10.12.2015
14. वही
15. मानगढ़ संदेश साहित्यिक पत्रिका, अंक 25, माह दिसम्बर, 2012
16. वहीं
17. डाबी प्रेमचन्द, जनजातीय लोक साहित्य – अंकुर प्रकाशन, उदयपुर (राज.) 2007–08
18. वहीं

युगांतर अंतर्राष्ट्रीय शोध–पत्रिका
खंड–8, अंक–30, वर्ष–2019 (जनवरी, 2019) आईएसएसएन : 2320–2467, आईएफः 5.2

राजस्थान की प्रमुख घुमन्तु जनजातियां

(एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

डॉ. लोकेश पारगी
श्री योगेश्वर स्नातकोत्तर महाविद्यालय
आमलीपाड़ा, सज्जनगढ़, जि. बांसवाड़ा।

राजस्थान भारत के 6 जनजाति बहुल राज्यों में से एक है। यहां मुख्यतः भील, मीणा, गरासिया, डामोर और सहारिया जनजातियां निवास करती है। वैसे तो राजस्थान में कुल 12 प्रकार की जनजातियां निवास करती है। जिनमें कथौड़ी, कंजर, सांसी और बावरिये आदि घुमन्तु जनजातियां है। घुमन्तु जनजातियों की आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति अत्यधिक दयनीय है। वे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हुए अपना भरण पोषण करती है। इन जनजातियों का अपना परम्परागत व्यवसाय समाप्त हो गया है। वर्तमान में वे विभिन्न प्रकार के व्यवसायों से अपना जीवन निर्वाह कर रहे है।

कथौड़ी जनजाति –

राज्य की कुल आबादी का 52 प्रतिशत कथौड़ी जनजाति उदयपुर जिले की कोटडा, झाडोल एवं सराड़ा पंचायत समितियों में बसे हुए है। शेष मुख्यतः डूंगरपुर, बारां एवं झालावाड़ में बसे हुए है। ये महाराष्ट्र के मूल निवासी है। खेर के पेड़ से कत्था बनाने में दक्ष होने के कारण वर्षो पूर्व उदयपुर के कत्था व्यवसायियों ने इन्हें यहां लाकर बसाया। कत्था तैयार करने में दक्ष होने के कारण से ये कथौड़ी कहलाएं।

2011 की जनगणना के अनुसार कथौड़ी जनजाति की कुल आबादी 4833 है। राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से कथौड़ी के कार्यो को प्रतिबन्धित घोषित कर दिये जाने के कारण कथौड़ी लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। आज ये जनजाति समुदाय जंगल से बांस, महुआ, शहद, सफेद मूसली, गौंद, कोयला एकत्र कर और चोरी–चुपके लकड़ियों को काटकर बेचने तक सीमित हो गई है। इस जनजाति का शैक्षिक एवं आर्थिक स्तर बहुत ही न्यून है। कथौड़ी जंगलों व पहाड़ों में रहने वाली ऐसी जनजाति है जो स्वभावतः अस्थाई एवं घुमन्तु जीवन जीती आ रही है। कथौड़ी लोग घास–फूस, पत्तों एवं बांसों से बने झोंपड़ों जिन्हें खोलरा कहते है में रहते है। इनके परिवार आत्मकेन्द्रित होते है।

प्रमुख विशेषताएं –

1. कथौड़ी जंगलों व पहाड़ों में रहने वाली ऐसी जनजाति है, जो स्वभावतः अस्थाई एवं घुमन्तु जीवन जीती है।
2. खेर के जंगलों से कत्था तैयार करने के अलावा मछली पकड़ना, कृषि कार्य से यह जनजाति अपना गुजर बसर करती है।
3. परिवार आत्मकेन्द्रित होते है।व्यक्ति शादी होते ही अपने मूल परिवार से अलग हो जाता है। नाता करना, विवाह विच्छेद एवं विधवा विवाह प्रचलित है।
4. कथौड़ी मांसाहारी भी होते है। दैनिक खानपान में मक्का ज्वार बंटी आदि की रोटी प्याज आदि के साथ खाते है। चावल उनको प्रिय है पेय पदार्थो में दूध का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है।
5. स्त्रियां मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है जिसे फड़का कहते है गहने पहनने का कोई रिवाज नहीं है।
6. शरीर पर गोदने का महत्व है।
7. इस जनजाति में मावलिया नृत्य एवं होली नृत्य प्रमुख है।
8. मावलिया नृत्य नवरात्रों में पुरूषों द्वारा किया जाता है। इसमें 10–12 पुरूष ढोलक, टापरा एवं बांसली की ताल पर गोल–गोल घूमते हुए नाचते है।

9. होली नृत्य में कथौड़ी स्त्रियां होली के अवसर पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करती है। नृत्य के दौरान पिरामिड बनाती है। पुरूष उनकी संगत में ढोलक घोरिया, बांसली बजाते है।

10. कथौड़ी जनजाति के लोक वाद्य इनके वाद्य यंत्रों में गोरिडिया एवं थालीसर मुख्य है।

कंजर जनजाति

कंजर एक घुमक्कड कबीला है जो सम्पूर्ण उत्तर भारत की ग्राम्य और नागरिक जनसंख्या में छितराया हुआ है। ये सम्भवतः द्रविड़ मूल के है। 'कंजर' शब्द की उत्पत्ति संस्कृत 'काननचर' से हुई भी बताई जाती है। एक किवदंती के अनुसार कंजर दिव्य पूर्वज मान गुरू की संतान है। मान अपनी पत्नी नथिया कंजरिन के साथ जंगल में रहता था। कंजर मुख्यतः कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और उदयपुर आदि जिलों में पाये जाते है। कंजर जनजाति में मुखिया को पटेल कहा जाता है। इस जनजाति में चौथमाता एवं हनुमानजी को आराध्य देव माना जाता है। हाकम राजा का प्याला कंजर लोग हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते है। अतः किसी मामले की सफाई जानने हेतु लोग हाकम राजा के प्याले की कसम खाते है।

कंजर जाति की कुलदेवी जोगणियां माता है। कंजर महिलाएं नाचने–गाने में कुशल होती है। इनका चकरी नृत्य प्रसिद्ध है। इनका प्रमुख वाद्य ढोलक एवं मंजीरा है। कंजरों में व्यस्क विवाह का प्रचलन है। विवाह वधु मूल्य देकर होता है। रकम का भुगतान 2 किश्तों में होता है। पेशेवर नामधारी होने पर भी कंजरों ने किसी व्यवसाय विशेष को नहीं अपनाया। कुछ समय पूर्व तक ये यजमानी करते थे और गांव वालों का मनोरंजन करने के बदले धन और मवेशियों के रूप में वार्षिक दान पाते थे। कुछ कंजर स्त्रियां भीख मांगने का कार्य भी करती है। किन्तु वर्तमान में कंजर जनजाति के लोग अपने परम्परागत धन्धों को छोड़कर आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक व्यवसायों को अपना रहे है। समय के साथ–साथ इनकी वेशभूषा भी बदल रही है। खान–पान में ये मांसाहार का अधिक प्रयोग करते है।

कंजरों की कबीली पंचायत शक्तिशाली और सर्वमान्य सभा है। सभ्य समाज की दृष्टि से पेशेवर अपराधी माने जाने वाले कंजरों में भी कबीली नियमों के उल्लंघन की कड़ी सजा मिलती है। अपराध स्वीकृति के निराले और यातनापूर्ण ढंग अपनाएं जाते है। कंजर अपने देवी देवताओं के साथ हिन्दू देवी देवताओं की भी मनौती करते है।

सांसी जनजाति –

सांसी एक खानाबदोश आपराधिक जनजाति है, जो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र राजपुताना में केन्द्रित रही है। यह जनजाति अधिकांशतः राजस्थान के भरतपुर जिले में निवास करती है। सांसी लोग राजपूतों से अपनी वंशोत्पत्ति का दावा करते है, लेकिन लोककथा के अनुसार इनके पूर्वज बेड़िया थे जो यह एक आपराधिक जनजाति है। एक अन्य मत के अनुसार सांसी जनजाति की उत्पत्ति 'सांसमल' नामक व्यक्ति से मानी जाती है। जीवन यापन के लिए पशुओं की चोरी तथा अन्य छोटे–छोटे अपराधों पर निर्भर रहने वाले सांसियों का उल्लेख अपराधी जनजाति के रूप में होता है। इस जाति के लोग खानाबदोश जीवन व्यतीत करते है। छोटी–छोटी हस्तशिल्प निर्माण से भी आजीविका चलाते है। कुकड़ी की रस्म के तहत सांसी जनजाति की युवती को विवाहोपरान्त अपनी चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देनी होती है। इस जनजाति में नारियल के गोले के आदान–प्रदान से सगाई की रस्म पूरी होती है। सांसी जनजाति भाखर बावजी को अपना आराध्यदेव मानती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सैनी, एस.के. (2012) ''राजस्थान के आदिवासी'' युनिक ट्रेडर्स जयपुर, पृ.सं. 15–16
2. दयाल, एम. (1968) ''द चेंजिंग पैटनर्स ऑफ इण्डिया'' इन्टरनेशनल ट्रेडर्स इकोनॉमिक ज्योग्राफी वॉल्युम 44, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर पृ.सं. 240–246
3. दोसी, शम्भुलाल/ व्यास, नरेन्द्र (1992) ''राजस्थान की अनुसूचित जनजातियां'' हिमांशु पब्लिकेशन्स उदयपुर, पृ.सं. 80–86
4. उत्प्रेति, हरीशचन्द्र, (1970) ''भारतीय जनजातियां'' सामाजिक विज्ञान हिन्दी रचना केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, पृ.सं. 109–114
5. व्यास, गोपाल (1989) ''मेवाड़ का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन'' (18वीं व 19वीं शताब्दी) राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ.सं. 20–41

CONTEMPORARY CHALLENGES TO INDIA'S FOREIGNPOLICY

- **ANURADHA**

ABSTRACT -

Each nation has the right and power to secure the goals of her national interest in international relations. It is her supreme duty to satisfy the needs of her people. Each nation wants to be self reliant in all areas of activity. Foreign policy is a set of principle and decisions, a plan of action and a thought out course of action adopted and used by a nation for conducting relations with other nations and all international actors with a view to secure the preferred and defined goals of her national interest. The main and first objective of India's foreign policy like that of any other country is to secure its national interests. The scope of national interests is fairly wide which includes securing our borders to protect territorial integrity, countering cross-border terrorism, energy security, food security, cyber security ,creation of world class infrastructure, non discriminatory global trade practices, equitable global responsibility for the protection of environment, reform of institutions of global governance to reflect the contemporary realities, disarmament, regional stability and international peace.

KEYWORDS – Emerging, Defend, Isolation, Ascendency, Delegation, UN-United State, ASEAN- Association of South East Asian Nation, Rivalry, Equation,

INTRODUECTION -

Foreign policy is important because it determines the state of relationships between countries and guides the diplomats in negotiations. If a country is too aggressive and refuse to take into the legitimate interest of other countries , it may face a push back or even armed conflicted. Foreign policy is about keeping good , healthy relations with neighbours countries. Foreign policy is country's orientation towards other countries. It includes vast array of subjects ranging from language, culture to technology. Diplomatic relations are always aimed at maintaining good and positive relationship.

The world in twenty first century is remarkably different from the cold war period. The end of ideological clash and strategic competition between the superpowers , which had tremendous role in accentuating conflicts across the world generated new hope for building a peaceful and co-operative world order. Instead there is a great deal of uncertainty in the emerging global order. Foreign policy is an instrument at the disposal of a country to protect and promote its national interests. The core of the national interest is constant –defend the territorial integrity and sovereignty, enhance the economic and social well- being of the people ,promote opportunities for profitable trading relations with other countries and exploit the "soft power" through propagation of the cultural assets. While the national interest would be forever, its contant will vary with time and circumstances. It follows that the policy has to be flexible and must keep un tune with changing international, as well as national, environment.

HISTORICAL BACKGROUND -

India has a long tradition of foreign policy and diplomacy .This began in ancient times. Chanakya is often considered as the father of our diplomatic tradition. When India became free the world scenario was quite changed. It was the time of cold war .World politics was divided in two blocs; the first was led by USA under the capitalist ideology and another was by USSR under the communist ideology. India ,under Nehru, did not wish to become a part of any bloc and adopted n new policy ,which is known as non alignment policy. Non alignment has been regarded as the most important feature of India's foreign policy. Non alignment aimed at maintaining national independence in foreign affairs by not joining any military alliance formed by the USA and USSR in the aftermath of the second World War. Non alignment was neither neutrality nor non –involvement nor isolationism. It was a dynamic concept which meant not commitment to any military bloc but taking an independent stand on international issues according to the merits of each case[1]. Under this policy India had chosen an independent path for foreign policy and became a natural leader of newly independent Afro – Asian countries in the surcharged atmosphere of cold war bloc politics between USA and USSR. India has always opposed colonialism, imperialism and racism. Whenever any injustice happened , India raised her voice , for instance in favour of Indonesia's nationality fighting against the Dutch colonialism in 1947, against South Africa's illegal occupation of Namibia and the infamous apartheid policy in South Africa . India fully supported inclusion of communist China in the United Nations. India had a lot of experience of British colonialism so India always opposes this evil naturally. On this behalf India supported to the freedom struggles of Libya, Algeria, Tunisia, Malaya and other third world contries.[2]

India has always viewed UN as a vehicle for peace and for peaceful change in world politics. Apart from this, India has always expected UN to actively involve countries to moderate their differences through talks or negotiations. Further, India has advocated active role for UN in development effort of Third World countries. India has pleaded for a common united front of the third world countries in the UN. As early as 195O India linked the reduction of armaments with the larger goal of development. The UNO has in fact played a key role in preserving world peace by helping in the decolonization process, by providing humanitarian and development assistance through peacekeeping. After the Second World War many contries achieved freedom in Asia and Africa. India's role in make this organization more effective.

Many scholars believed that these all determinants o India's foreign policy are supporting the idealistic view of international politics, which ignore the hard realties of international relations. So they think that India's foreign policy not succeeded to achieved the realistic goal. But it is one sided truth. Above all idealistic determinates of India's foreign policy made her an important figure in world politics[3]. Through the non-alignment policy India received benefits by both side of bipolar world and succeed at balancing the relations .Non-alignment group of nations gave tough resistance to monopolistic economic policies of west. They strongly opposed to Bretto Wood system and provided a very strong platform to new international economic order. Due to opposing the colonialism imperialism and racism. India become natural leader of third world countries, for instanc G77 other groups are headed by India.[4]

CHANING PARADIGMS -

Changing which took place in 1989-91 were clearly looking at the global level . World was passing through the age of ideological, military and economic changes. It was time to the end of cold war and the collapse of USSR. In such circumstances it was a major challenge to India to make coordination with international situation. Economic liberalization became compulsion rather than necessity for India. In context of foreign policy, the major challenge of India, to list out the new subject according to new world circumstances because those subjects which were key determinate of India's foreign policy in post independent period , became irrelevant after the end of cold war .The end o the cold war saw India replace the idealism in its foreign policy with a pragmatic approach as it sought to develop new and meaningful relationships that would aid its global ascendancy. In post cold war period India adopt realistic aim and objective based ,result oriented and positive foreign policy. India's economic liberalization, initiated in the early 1990s allowed it to build its new foreign policy on the thrust of economic diplomacy. The 1990s also saw India shedding its non-aligned image and pursuing the membership of other multilateral forums such as the ASEAN.[5]

The end of cold war generated new challenges and created many options for foreign policy makers of India. In a unipolar world, there were so many challenges came in the way of policy. The challenges included balancing the relations with global power, building a new partnership with regional organization, expanding the influence in Asia, Africa and Latin America, making NAM more relevant according to new conditions, enhance India's economic and energy security, to deal with environmental and human security threats, UN reforms and permanent membership of security council and active pursuit for multipolar world.

INDIA AND RELATION WITH POWER BLOCKS -

The collapse of the USSR, this was closely to India during cold war, one of the greatest challenges that India faced to make a balance relation with super powers. India needed to determine its policies towards the other global powers like America, China, Russia, Japan, European Union. India's main foreign policy objective is to achieve global power status. It will however, depend greatly on its relationship with the US, and other global powers, to attain this. It was major challenge for India in the 21st century to keep the US[6]. The Indian delegation pointed out that, after the end of cold war, India was willing to diversify, and also to expand economic, technology, cultural, and education relation with US. India and the US have been cooperating recently in several areas including in defence and technology. The highlight of their cooperation in recent times has been the civil nuclear energy cooperation deal that has been signed both countries. The civilian nuclear deal is a positive development in Indo-US bilateral relations, there is still a need for India to carefully manoeuvre its foreign policy to manage ties with US. US and India agreed to expend co-operation in three specific areas Civilian nuclear activities, civilian space program and high technology trade The 123 nuclear treaty was historical event in confidence building for both countries.

Beside the US, Chine is another superpower and playing an important role in world politics in general and particular in Asia. India and China found themselves as a rivalry, competitor and co-operator in twenty first century. They are rivalry about the

border issues, competitor in market economy, for influence in Asian politics, not only in ASEAN but also in south and west Asia. There are so many issues in world politics, on which both countries found them in co-operation, such as, in south-south dialogue, for new economic world order, energy security, environmental issues and both are against to protectionism.

Both Japan and Russia are strategic partners of India. Russia has been an important supplier of defence equipment and technology and will grow in importance to India. With the current global shortage of oil and gas expected to exacerbate in the coming years, energy security will become an important fact of foreign policies. As such, it is important for India to not only secure access into key energy markets but also to diversify its sources for oil and gas so as to reduce it dependence on a particular supply. Relations with Russia continued to mature and involved a long standing multidimensional approach involving security, military, and economic links[7].

Another domain of opportunity for the Indian foreign policy is growing interaction with EU. India has a strategic partnership with EU. The most significant aspect of this partnership is that India is only the fifth country besides the US, Canada, Russia, and China with whom the EU has established such equation. This partnership launched in January, 2005 in various areas, such as, trade and investment, protection for intellectual property, co-operation in science and technology, education, terrorism and democratization and decenterlization of UN. EU and India should hold continious dialogue on organization and institutional restructuring and reform of the of the United Nations in particular. This quite good relation is consequence of India's vibrant democratic institutions, economic power and increasing global status[8].

ENERGY SECURITY -

India continues to face several energy crisis, given its growing economy and population. Much of the countries foreign policies in the past few years has been driven by its search for affordable and durable energy resources. In these efforts India has been criticised for working with countries that have poor human rights records, including Angola and Nigeria for oil and Tajikistan for its uranium reserves. Both India and China have also been labeled neo-colonial for prioritsing predatory, statist interests as they expand their presence in Africa's resource and explore the Arctic shelf along with a handful of othercountries argues that the industrialized countries lose no opportunity to preach a low carbon growth strategy to developing coutries.

India also has an ambitious programme to expand civil uses of nuclear energy, and lobbies extensively to join high level global nuclear forums such as the Nuclear Supppliers Group.[9] While previous administrations aligned closely with both non-prolification and nuclear disarmament initiatives, India has long argued that the non-proliferation treaty creates nuclear haves and have-nots by restricting the legal possession of nuclear weapons to states that tested them before 1967.Instead,Modi is following the lead of the previous Manmohan Singh administration and expanding the 2011 US-India Civil Nuclear Agreement, which was signed in recognition of India's responsible stewardship of nuclear weapons. India is the only nuclear weapons country that is not a party of the NPT, but is still allowed to carry out international nuclear trade[10].

INDIA'S EFFORTS TO BE A PERMANENT MEMBER OF SC AND UN REFORMS

The founding fathers of the United Nation established the organization with the purpose of maintaining international peace and security, of developing friendly relations among nations and of taking other appropriate measures to strengthen universal peace. India is one of among the founding fathers of UN. The UN has become the most universal international organization in the world, embracing under its aegis the activities of governments from 184 states at present 192 states[11].

Since 1945 to present days, years to pass , but there is no any structural change taking place in UN. When it was came in existence five nations were permanent member of Security Council out of fifty one member of UN, and those five nations are still permanent member of Security Council while the number of member nations reached 192. UN also , not works like an independent international organization. There are so many examples which are proofing that this organization becomes a pocket organization of US.

It is a challenge to nations that UN can work as an independent organization. India made an effort to do so. Organizational and institutional restructuring and reform of the UN is core objective of India's foreign policy in 21st century. India convince to other countries including P5 nation since post cold war period for decentralization and democratization of UN. Another challenge of India's foreign policy, that is to achieve the permanent membership in UN security council "Indi formed a group with Germany, Japan and Brazil called G4,who were equally strong contenders for permanent membership of the Council and vociferously campaigned for more representation to developing countries[12].

CHALLENGE TO KEEP NAM RELEVENT -

Non-alignment is the doctrinal foundation of India's foreign policy. It was adopted by Pt. Nehru to keep away India from cold war bloc politics. Being cardinal base of India's foreign policy the non-alignment served her interest in post Nehru period. But the end of cold war and emergence of unipolar world politics has forced India to bring changes in her foreign policy. Scholars argued that NAM was the consequence of bipolar world order and now world is unipolar so non-alignment with whom. With the end of the bipolar world order the policy of NAM have lost their relevance and significance. It is challenge to India's foreign policy planer to make NAM more relevant than it was ever before. In fact NAM is not relevant in the context of bipolar world, but there are local power centre within unipolar world order. Beside this, NAM is still relevant in order sense, such as opposing the neo-imperialism and neo-coloniasim, peaceful of disputes, restructuring and democratization of UN, establishing new international economic order, demand for the North-South dialogue based on the mutuality of interest and benefit, South-South cooperation and nuclear, chemical and biological disarmnent. NAM is the second largest organization of the world and India realized that India can play a creative role in international politics[13]. NAM facing fundamental problem and challenges but by redefining and modifying the objectives of the movement and its role it can overcome theses challenges.

HUMAN SECURITY FRAMEWORK AND INDIA'S FOREIGN POLICY

The concept of human security emerged with the end of the cold war. The end of cold war is often seen as the moment where human security gained real recognition because of the behalf that , with the relaxation of ideological hostilities between the US and USSR in the early 1990s, real progress could be made to address the root causes of global insecurity.

The first major statement concerning human security appeared in the 1944 Human Development Report, an annual publication of United Nations Development Programme. Human security is not just protecting people from various threats but also empowering people and enhance individual's capabilities and capabilities are people's freedom to do so what he like valuable. It focuses on individual's security to defend their human dignity, culture and faith, fundamental freedoms, human rights and human capabilities beyond nation border.

India has taken, not theoretically but traditionally, human security as the paradigm for its foreign policy and has taken a leadership role in operationalizing it[14]. India's foreign policy framework has maintained a distinctive focus on peace, security, development, international cooperation and peaceful co-existence since her independence. The human security agenda has offered a chance for India to contribute a leading role on the international platform.

FUTURE CHALLENGE -

From the foreign policy perspective, India faces today and will continue to face in the foreseeable future a mix of challenges. Some of these are-

- Threats to national security- they come from the non-traditional sources such as terrorism and radicalization, from traditional sources such as China and Pakistan, and from new sources such as deficit in cyber security.
- Economic – adverse economic trends in the world have negative impact on our ability to grow. Economic strength is the biggest source of national security. Our aim has to be to attain 8% GDP growth rate for the next three decades.
- Industrial revolution, particularly its effect on the future of work.
- Security and Climate Change
- Blue Economy
- Reform in Global Governance
- G20 – the forthcoming chairmanship by India in 2022

CONCLUSION -

Foreign policy is changeable, it change with time and circumstances. With the end of cold war, world politics totally change and many challenges emerged in front of nation-states in terms of their foreign relations. India's policy planner brought changes in foreign policy according to change world scenario. With her long-term and short-term national interest, India's foreign policy becomes closer to realistic approach. But it is hard to say that, the idealistic components of India's foreign policy are just irrelevant. In the new form, colonialism and imperialism are exist in the world, drug trafficking, nuclear armaments and other threats to human security are incredibly grown. To eliminate these problems, the idealistic components of India's foreign policy are relevant. Since the end of cold war, India has been deepening its relations with super powers. US become focal point of India's foreign policy. Although it is necessity of age that, to make closer relation with super powers but India's tend

to US is question to its independent foreign policy. In the process of making close relations with super powers, India's ignoring her immediate neighbours and also third world countries. There is no clear policy about Nepal and Bangladesh. India's foreign policy is not clear about the Nepalese Maoist and Bangladeshi refugee problem.

So, there are so many foreign policy challenges for India and many changes are viewing in its foreign policy since the end of cold war period. But main challenge is to attain global power status and make India a major player in international affairs. Foreign policy designers brought many changes to attain this goal. In this process we can see naturally clashes between foreign policies and necessities, because it is transitional period, which will be build coordination with time and circumstances. India needs to adopt a pragmatic foreign policy, it will help to attain global power status.

ENDNOTES

1. Kumar Mahendra, Theoretical Aspect of International Politics, Shivala Agarwal, Agra,Seventh Edition
2. Dikshit J.N., Bhart ki Videsh Niti aur eske pdosi, Gyan Publication,New Delhi,2005
3. Sharma Mathuralal, Jain Shashi K.,Parmukh Desho ki Videsh Nitiyan,College Book Depo,Jaipur,1992
4. Upadhyay Archna, Bhart ki Videsh niti aur anterrashtriya samband,Sanjya Publication, New Delhi,2005
5. Yadav R.S.,Bhart ki Videsh Niti, Kitab Mahal Agensi,Patna, 1999
6. Shukla Shubhash, Foreign policy of India, Anamika Publicatrion, New Delhi,2007
7. Kumar Sanjya,Chander Lalit Gulab, Rastriya Surksha Mudde aur Chuotiyan,Mohit Publication, New Delhi,2012
8. Yadav R.S.,Bhart ki Videsh Niti,Pearson,Delhi,2013
9. Malhotra A.P.,Bhartiya Parmanu Shastr,Rawat Publication,New Delhi,2013
10 Ibid
11. Vonkov,Lev, International Peace and Security:New Challenges to the UN; from Dimitris Bourantonis & Jarrod Winner, The United Nation in the New World Order:The World Organization at Fifty,MacMillan press,London 1995,pp 1-18
12. Abhinandan Dr. Netaje India's Push for Permanent Membership of Security Council; The China Factor,World Focus,Nov-Dec. 2010,p532
13. Singh Surendra, NAM in the Contemporary World Order: An Analysis, The Indian Journal of Political Science,Vol.LXX,No. 4,Oct-Dec.2009,pp1213-1226
14. Patomaki Heikki, Human Security:A Conceptual Analysis; A Background Paper for the Global Cities Institution/Human Security Programme, p8

युगांतर अंतर्राष्ट्रीय शोध–पत्रिका
खंड–8, अंक–30, वर्ष–2019 (जनवरी, 2019) आईएसएसएन : 2320–2467, आईएफः 5.2

महिला सशक्तीकरण, शिक्षा, आर्थिक क्षेत्र तथा राष्ट्र निर्माण में डा. बी.आर. अम्बेडकर का योगदान

सुरेन्द्र सिंह
राजनीति विज्ञान विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

डॉ. भीम राव राय जी अम्बेडकर आधुनिक भारत के निर्माता थे। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि डॉ. अम्बेडकर को केवल एक सीमित स्थान तक उनको रखा गया। कभी उनको दलितों के मसीहा के तौर पर स्थापित किया गया। कालान्तर में भारतीयों के उपेक्षित वर्गों में जागृति आई, उन्होंने अम्बेडकर को पढ़ा और समझा तो उनके प्रयासों के पश्चात उन्हें भारतीय संविधन निर्माता कहा जाने लगा और आज जब वर्तमान में इस अम्बेडकर को सही से समझा गया तब धीरे–धीरे भारतीयों ने उनको आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माता के तौर पर समझने की कोशिश की, अभी 20 अप्रैल 2015 और 21 मार्च 2016 को दिल्ली में भारतीय प्रधनमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सार्वजनिक मंत्र से डॉ. अम्बेडकर को आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माता के तौर पर संबोधित किया। इस देश में जब कई अन्य नेताओं ने स्वयं को किसी न किसी राज्य या क्षेत्र से जोड़ने की कोशिश की तब उस समय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने अपने कथन "हम भारतीय हैं, प्रथमतः और अंततः (We are Indian, Firstly and lastly) यह कथन साबित करता है कि वह सही मायने में भारतीय राष्ट्रवादी थे।

जैसा कि भारत में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर को प्रारम्भ से ही उनके कद का सदैव छोटा रख के ही सामने लाया गया। पहले उनको केवल दलितों के मसीहा के तौर पर स्थापित करने की भयंकर कोशिश की जाती रही लेकिन इस देश ने बाद में माना की वह केवल दलितों के ही नहीं पूरे भारत के मसीहा थे। इसके पश्चात उनको धीरे–धीरे उनको भारतीय संविधान के निर्माता (Father of Indian Constitution) के तौर पर कहा जाने लगा, परन्तु इस संबोधन में भी कुछ संकुचित मानसिकता के लोगों को समस्या होने लगी, वह डा. अम्बेडकर के ड्राफ्रिटंग कमेटी के चेयरमैन के कार्य को केवल सीमित शब्दों में यह संबोधित करेन लगे कि केवल वह ड्राफ्रट ही किया करते थे, परन्तु केवल ड्राफ्रट के कार्य से ही किसी व्यक्ति को भारतीय संविधान का निर्माता नहीं कहा जा सकता, उनके संविधान निर्माता होने को लेकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के समाजशास्त्री विभाग के प्रोफेसर विवेक कुमार के यह कथन सत्य बताते हैं वैसे तो डॉ. अम्बेडकर का आधुनिक भारत के निर्माण में कई योगदान है परन्तु उनमें से संविधन प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में भारत के प्रजातांत्रिक संविधन का निर्माण सबसे मौलिक एवं महत्वपूर्ण है, प्रश्न उठता है कि हम बाबा साहेब को संविधान निर्माता किन तथ्यों के आधार पर कह सकते हैं। सर्वप्रथम इन तथ्यों का प्रयोग हमें 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा के समक्ष दिए गए बाबा साहेब के उद्‌बोधन से मिलती है। इस दिन बाबा साहेब ने संविधान की फाइनल प्रति तात्कालीन राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद को सौंपी थी। जिससे यह प्रमाणित होता है कि वास्तव में ही बाबा साहेब अम्बेडकर ही भारतीय संविधान के पिता हैं। इन तथ्यों को वैसे संविधान सभा के अनेक सदसयों ने भी सराहा। संविधान सभा की अन्तिम बैठक में 26 नवम्बर 1949 ई. को बोलते हुए बाबा साहेब ने बताया कि संविधान सभा पहली बार कब मिली और उस सभा ने कुल कितने दिनों तक काम किया। जिसके वह खुद गवाह थे। उन्होंने बताया कि संविधान सभा पहली बार 9 दिसम्बर 1946 ई. को मिली और उसने लगातार दो वर्ष, ग्यारह महीने एवं सत्रह दिनों तक काम किया। इस सभा ने ही संविधान प्रारूप समिति का गठन 2 अगस्त 1947 को किया। जिसने डा. बी.आर. अम्बेडकर को अपना अध्यक्ष चुना। बाबा साहेब ने इस समिति द्वारा किए गए काम का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इस समिति ने लगातार एक सो इकतालिस दिनों तक काम किया जिसमें 395 अनुच्छेद एवं 8 सूचियां थीं। यह शायद विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। इस क्रम में बाबा साहेब ने एक अन्य तथ्य का खुलासा किया कि संविधन का मसौदा तैयार करते समय 7635 संसोधन प्राप्त किए गए, इनमें से 5162 संसोधनों को दरकिनार करते हुए दो हजार चार सो तिहत्तर (2,473) संसोधनों को विधायिका ने बहस के बाद समायोजित किया। अब आप स्वंय अनुमान लगा सकते हैं कि संविधान बनाने में बाबा साहेब ने कितना मानसिक, बौद्धिक एवं शारीरिक योगदान दिया।"

प्रोपेफसर विवेक कुमार की इन कथन से यह प्रमाणित हो जाता है कि बाबा साहेब संविधान निर्माता हैं और संविधान निर्माता के माध्यम से उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया।

भारतीय संविधान की प्रासंगिकता को वर्तमान में देखें तो पड़ोसी देशों के संविधान ठीक से चले नहीं या एकांगी हो गए। परन्तु भारतीय संविधान की प्रासंगिकता वर्तमान में भी मजबूती से बेन हुए।" अग्रलिखित प्रो. विवेक कुमार के कथन के तौर पर यह साबित होता है कि डा. बी.आर. अम्बेडकर भारतीय संविधान के जनक थे। जब डा. अम्बेडकर संविधान का कार्य कर रहे थे तब उन्होंने सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा, यहाँ पर उन्होंने किसी भी पूर्वाग्रह से संविधान में किसी के लिए विरोध में कार्य नहीं किया। उन्होंने अतीत में अपने ऊपर स्वयं कई यातनाएं सही, सामाजिक अपमान का व्यक्तिगत दंश अनुभव किया, इस पर उन्होंने अपने समाज को तथाकथित उच्च जातियों द्वारा सामाजिक बहिष्करण व यातनाएं देखी, परन्तु जब उनके पास उनके कलम की ताकत यानि कि संविधान में उनके विरोध में लिखने की तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि डा. बी.आर. अम्बेडकर ऐसा करते तो शायद उनके भारत राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में ठेस पहुँचती, उन्होंने सदैव राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा, यह सब उनके राष्ट्र के प्रति समर्पण को दिखाते हैं। उन्होंने जो भी कल्याणकारी अनुच्छेद व दिशा निर्देश भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए, वह सभी के लिए थे। उन्होंने सभी के उत्थान के हितों का ध्यान रखा, परन्तु इसके अतिरिक्त डा. अम्बेडकर ने 15(4) भारतीय संविधान में विशेषाधिकार सामाजिक रूप व शैक्षिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जातियों व जनजातियों वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई और 16(4) में अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए आरक्षण का प्रावधन रखा गया। डा. अम्बेडकर ने आरक्षण को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में मुख्यतया स्थान दिया, क्योंकि राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्र के अंतर्गत आने वाले उन सभी वर्गों को स्वप्रतिनिधित्व की आवश्यकता होती है जिनको सदियों–सदियों से अधिकारेां से वंचित रखा गया। यह इतिहास में भी लिखित वर्णन है कि सदियों से विभेदकारी सामाजिक व्यवस्था भारत में विद्यमान थी। जहाँ पर एक वर्ग दूसरे वर्ग से श्रेष्ठ जाति के आधार पर थी, इस अमानवीय जाति प्रथा के कारण भारत देश सदियों से गैर सामाजिक, गैर तार्किक व निवेशकारी व्यवस्था में रहा, जिसके कारण भारत देश में समय–समय पर विभिन्न विदेशियों शासकों द्वारा भारत गुलाम रहा, डा. अम्बेडकर ने इस कारण को समझा, उन्होंने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के तहत स्वप्रतिनिधित्व यानी कि आरक्षण को समर्थन दिया। भारतीय संविधन में आरक्षण के प्रावधान द्वारा वर्तमान में अनुसूचित जातियों, जनजातियों व पिछड़े वर्गों के व्यक्ति आज मुख्य धारा में आने लगे हैं तथा राष्ट्र निर्माण में निर्णायक भूमिका भी निभा रहे हैं, किसी भी राष्ट्र निर्माण की एक आवश्यक शर्त यह होती है कि समाज के पायदान पर सबसे नीचे बैठा हुआ व्यक्ति भी सबके सामने मुख्यधारा में आए और राष्ट्र निर्माण में अपख योगदान दे। डॉ. अम्बेडकर दूरदर्शी थे, इसलिए उन्होंने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व संबंधित मूल अध्किारों (भाग–3, अनुच्छेद 12–35) को महत्वपूर्ण स्थान दिया। इन सब अधिकारों द्वारा उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को मुख्य धरा से जोड़ने की कोशिश की तथा प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के अवसर दिया क्योंकि जिन वर्गों को अधिकारों से वंचित रखा गया वह भारत देश में आधी से ज्यादा आबादी थे। अब इन तथ्यों से कोई भी ये निर्णय दे सकता है कि जहाँ पर आधे से ज्यादा आबादी मूल अधिकारों से वंचित रहगा तो वह राष्ट्र कैसे विश्व शक्ति बन पाएगा, ये डा. अम्बेडकर के प्रयास ही थे जिनके कारण सभी वर्ग राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं, आज विश्व में भारत एक विकासशील राष्ट्र है, विकसित अवस्था को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि भारत राष्ट्र के सभी मानव एक संसाध्न बनकर अपना योगदान दे रहे हैं।

"मैं किसी समुदाय की प्रगति महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की है, उससे मापता हूँ।"

इसके अतिरिक्त डा. अम्बेडकर ने आधी आबादी कहे जाने वाले समाज यानी कि भारतीय महिलाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण कार्य किया। अगर डा. बी.आर. अम्बेडकर को वर्तमान समय में आधुनिक भारत के नारी मुक्तिदाता की संज्ञा दी जाए तो यह उपयुक्त संबोधन रहेगा उनके सम्मान में। डॉ. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बने थे। भारतीय संविधान पूर्ण करने के बाद डा. अम्बेडकर ने भारतीय नारी को मानवीय अधिकार दिलाने के लिए कानून मंत्री का पद छोड़ दिया था, वह था हिंदू कोड बिल जिसे उन्होंने संसोधित किया। हिंदु कोड बिल में संसोधन एवं परिवर्तन करने का कार्य पिछले कई वर्षों से चला आ रहा था। भारत सरकार ने 1941 ई. में सर बी.एन. राव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति देश में सभी भागों के विचार सुने, दौरा किया, मत सुने और हिन्दू कोड बिल का प्रारूप तैयार

किया गया। 1946 के बाद यह बिल कई बार केंन्द्रीय सभा में लाया गया। फिर डॉ. अम्बेडकर ने इसे संसोधित किया तथा इसे एक नया रूप प्रदान किया। डॉ. अम्बेडकर हिंदू कोड बिल के माध्यम से मनुसमृति की अन्यायपरक व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध थे। मनु ने शूद्रों तथा स्त्रियों को जिन मानवीय अधिकारों से वंचित किया था, उन अधिकारों को भारतीय संविधान के माध्यम से न केवल पुनः बहाल कर दिया था, वरन् उन्हें समानता के स्तर तक पहुँचाने के लिए आरक्षण–संरक्षण की सीढ़ियाँ भी प्रदान कर चुके थे। इस बिल को तैयार करने के लिए उन्होंने कई धर्मग्रन्थों का गहन अध्ययन किया, कई पंडित व धर्म शास्त्रियों से विचार–विमर्श किया। इससे संबंधित किताबों, पांडुलिपी व अन्य सामग्री से पूरा एक कमरा भर गया था। नवम्बर 1950 में उन्होंने 39 पृष्ठों की एक पुस्तिका सभी संसद सदस्यों को दी, जिससे कई हिन्दू संगठनों से प्राप्त सुझाओं के आधार पर हिंदू कोड बिल में किए गए संसोधनों व सुधार का उल्लेख था। फिर भी सितम्बर 1950 ई. तक भी इस बिल पर कोई चर्चा नही की गई। डॉ. अम्बेडकर ने 5 फरवरी 1951 ई. को हिंदू कोड बिल को संसद में पेश किया। 1951 में ससंद सत्र में समय–समय पर इन बिल पर चर्चाएं होती रहीं। परन्तु डॉ. अम्बेडकर अनुसार इस पर कार्यवाही नही हुई, बिल के कुछ ही भाग पास हो सके। डा. अम्बेडकर इससे बहुत दुःखी थे, उन्होंने इस पर हुत ही परिश्रम किया। इसे दो–दो बार संसोधित भी किया था। बिल पर ठीक से कार्यवाही न हो सकी और बिल को एक दुर्भाग्य पूर्ण तरीके से समाप्त कर दिया गया था। डॉ. अम्बेडकर जैसे व्यक्तित्व के सम्मुख देश के विधि मंत्री का पद बहुत छोटा था। वह किसी उद्देश्य को लेकर इस पद से जुड़े हुए थे, जब वह उद्देश्य ही पूरा नहीं हो पाया तो उन्होंने 27 सितम्बर 1951 को केबिनेट से अपना त्याग पत्र प्रधनमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास भिजवा दिया। अपने पत्र में उन्होंने प्रधनमंत्री को लिखा कि केबिनेट में बने रहने का उनका एक मात्र उद्देश्य हिंदू कोड बिल पास कराना था। अब मेरा पद पर रहने से कोई लाभ नहीं है।

इन सब तथ्यों से यही साबित होता है कि डॉ. अम्बेडकर को महिला अधिकारों की इतनी चिंता थी कि जिसेक कारण उन्होंने अपना मंत्री पद त्याग दिया। उस समय जब हिंदू कोड बिल पास नहीं हेा सका वह अभी तक टुकड़ों–टुकड़ों में पास हुआ है। वर्तमान समय में जो महिलाओं की स्थिति में सुधार हे वह सब डॉ. अम्बेडकर की मेहनत का परिणाम है। आज भारत में महिलाएं सरपंच से लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच चुकी हैं, कई राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दलों की मुखिया के तौर पर सक्रिय भी हैं। कई बड़ी–बड़ी औद्योगिक ईकाईयों के प्रमुख भी हैं। इसके अतिरिक्त वह आज प्रत्येक स्थान पर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं और नीति–निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, और इसके साथ–साथ आज वह पुरुषों की एकाधिकार रखने वाली भारतीय सेना में अपना स्थान बना चुकी हैं। यह सब अवसरों की समानता तथा आगे बढ़ने के अवसर उनको डा. अम्बेडकर के अथक प्रयास के कारण ही प्राप्त हुआ है। देश के योगदान में जब तक आधी आबादी कहे जाने वाली महिला योगदान नहीं देंगी तो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी।

शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। यह महत्वपूर्ण सूत्र डा. अम्बेडकर ने 20 जुलाई 1924 ई. को बहिष्कृत हितकारिणी सभा में संबोधित किया। यह सूत्र केवल दलित शोषित और पिछड़ों के लिए संघर्ष के सूत्र नहीं है, बल्कि समस्त भारतीय के विकास करने के लिए उपयुक्त है। डा. अम्बेडकर सदैव शिक्षा को सर्वोपरि रखते थे, उकने अनुसार शिक्षा के प्रत्येक व्यक्ति व राष्ट्र के उत्थान की प्रथम सीढ़ी है जो कि प्रत्येक व्यक्ति, वर्ग को बिना भेदभाव समान रूप से मिलनी चाहिए। जिससे वह स्वयं अपना व बाद में राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके। "शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो पियेगा व दहाड़ेगा।" यह महत्वपूर्ण सूत्र भी शिक्षा की महत्वता को प्रदर्शित करता है। शिक्षा डा. अम्बेडकर के लिए इतनी महत्वपूर्ण थी कि उनको जब भी समय मिलता था वह पढ़ाई ही किया करते थे। विश्व में सबसे बड़ी निजी पुस्तकालय उनका ही था, उनके राजगृह में 50,000 से भी अधिक पुस्तकें थीं। डा. अम्बेडकर ने लगभग 52 पुस्तकें लिखी प्रत्येक पुस्तक उनकी एक–एक शोध थी और इसके साथ ही उन्होंने भारतीय संविधान निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस अम्बेडकर को शिक्षा प्राप्ति के समस्त गुणों और उनके द्वारा लाभ प्राप्ति का तार्किक, दार्शनिक और व्यावहारिक निष्कर्ष प्राप्त हो चुका था। इसलिए इस संदर्भ में उन्होंने एक बार कहा था "शिक्षा ही एक ऐसी कुंजी है, जिससे ज्ञान का ताला खुल सकता है। उनको शिक्षा की महत्वा उनके बाल्यावस्था से ही हो गई थी, तभी उन्होंने स्वयं शिक्षा ग्रहण करने के लिए सदैव प्रयास करते रहे। डा. अम्बेडकर स्वयं शिक्षा को आगे बढ़ाने का माध्यम समझते थे तथा उन्होंने शिक्षा के

प्रसार के स्वंय कई शिक्षण संस्थाएं की स्थापना की जिनके उद्देश्यों में शिक्षा के प्रचार–प्रसार पर विशेष बल दिया था। उन संस्थाओं का संक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार है–

1.बहिष्कृत हितकारिणी सभा –

इस सभा की स्थापना 20 जुलाई, 1924 को की गई थी और यह एक रजिस्टर्ड संस्था थी। इस सभा के उद्देश्य और लक्ष्य इस प्रकार थे –

1. छात्रावास या अन्य साधन, जो आवश्यक हों, प्रारंभ पर शोषित वर्ग (डिप्रेस्ड क्लास) में शिक्षा का प्रसार करना।
2. ग्रंथालय (पुस्तकालय), सामाजिक केन्द्र या वर्ग या अभ्यास केन्द्र आरंभ करते हुए शोषित वर्ग (डिप्रेस्ड क्लास) में संस्कृति का प्रसार करना।
3. आद्योगिक और कृषि–विद्यालय आरंभ कर शोषित वर्ग (डिप्रेस्ड क्लास) की आर्थिक स्थिति में सुधार करना।
4. शोषित वर्ग (डिप्रेस्ड क्लास) की समस्या का प्रतिनिधित्व करना।
5. शोषित वर्ग (डिप्रेस्ड क्लास) की जागृति, सामाजिक उत्थान या आर्थिक विकास के लिए कार्यरत, क्लब, एसोसिएशन या कोई आंदोलन हो तो उसकी मदद करना या ऐसा संगठन बनाना।

उपरोक्त बहिष्कृत हितकारिणी सभा के 5 उद्देश्यों में से तीन उद्देश्य स्पष्ट रूप से शिक्षा के विकास के साध्य हैं। अंतिम देा उद्देश्य भी अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा की ओर इशारा करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि डॉ. अम्बेडकर के जीवन का सर्वोच्च साध्य दलितों, शोषितों और अस्पृश्यों में शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना था।

ऑल इण्डिया शैड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन

इस संस्था की स्थापना 19 जुलाई, 1942 को हुई थी। यह संस्था अर्द्ध सामाजिक और अर्द्ध राजनीतिक थी। इस फैडरेशन के निम्नलिखित उद्देश्य और लक्ष्य थे, जिनमें शिक्षा को प्रधानता दी गई थी, वे इस प्रकार थे–

1. भारत की अनुसूचित जातियों को संगठित करना, उन्हें शिक्षित करना, उनकी सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना तथा उन्हें उनका उत्थान करने हेतु प्रोत्साहित करना।
2. उनके लिए समानता के अवसर सुरक्षित करना और उसके द्वारा अन्य नागरिकों के साथ जीवन के समस्त व्यवहार में समानता प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म बनाना।
3. किसान, भूमिहीन मजदूर, कारखानों के मजदूर और अन्य मजदूरों को संगठित करना।
4. स्कूल प्रारंभ कर उन्हें कला और शिल्प की शिक्षा देने हेतु कार्यवाही करना।
5. अनुसूचित जातियों की नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति हेतु गतिविधियां आरंभ करना।
6. भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों पर हुए अन्याय और अत्याचारों की समस्त घटनाओं के अभिलेख (ब्यौरा) रखना

इस संस्था का पहले और पांचवे बिन्दु पर दिए गए उद्देश्य एवं लक्ष्य स्पष्ट रूप से शिक्षा के विकास की बात करते हैं। साथ ही साथ पांचवां बिन्दु का उद्देश्य अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा के बढ़ाने की ओर इशारा करता है, जब आदमी शिक्षित होगा, उसी अवस्था में अन्याय और अत्याचारों का ब्यौरा रख सकता है।

3. पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी –

इस संस्था की स्थापना विशुद्ध रूप से शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए 8 जुलाई, 1945 को की गई थी। इसके समस्त लक्ष्य एवं उद्देश्य कीशिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित है, जिनका क्रमशः ब्यौरा इस प्रकार है–

1. माध्यमिक, महाविद्यालय, तकनीक, भौतिक आदि शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना।

2. महाराष्ट्र में उचित स्थानों पर या देश के अन्य स्थानों पर हाई स्कूल, महाविद्यालय, विहार, छात्रावास, ग्रंथालय (पुस्तकालय), खेल के मैदान, बौद्ध संस्था जैसी शैक्षणिक तथा बौद्ध धर्म के संघ स्थापित करना, चलाना या उनकी मदद करना।
3. गरीब तथा बौद्ध लोगों को शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना।
4. अनुसूचित जातियों से धर्मान्तरित बौद्ध और अनुसूचित जाति के लोगों में शिक्षा विषयक रुचि पैदा करके उन्हें मजबूत करना तथा उन्हें उच्च शिक्षा हेतु विशेष सुविधाएं, छात्रवृत्ति एवं छूट उपलब्ध कराना।
5. विज्ञान, बौद्ध साहित्य और अन्य साहित्य को प्रोत्साहित करना तथा धर्म के तुलनात्मक अध्ययन हेतु आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना।
6. संस्था (सोसायटी) के लिए संपत्ति को क्रय या लीज पर लेना या अन्य तरीके से अर्जन करना तथा संस्था (सोसायटी) के धन का समय–समय पर तय करेन के अनुसार विनियोजन करना।
7. संस्था के उपयोग हेतु भवन, विहार इत्यादि का निर्माण, रख–रखाव, पुनर्निर्माण, सुधार एवं परिवर्तन कराना।
8. संस्था की किसी संपत्ति का विक्रय, सुधार, विकास, हस्तांतरण, लीज पर देना या बनाना।
9. बौद्धों की संस्था या संस्था द्वारा संचालित इन्टीट्यूट का, संस्था के उद्देश्य और लक्ष्य के अग्रिम विकास के दृष्टिकोण से, उसे सहयेाग करना या संस्था के साथ संलग्न करना।
10. संस्था के लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 'सिक्योरिटी' के साथ या उसके बिना संग्रह करना।
11. भारत के किसी भी राज्य में संस्था का पंजीकरण या मान्यता प्राप्त करना।
12. उपरोक्त लक्ष्य एवं उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रारंभिक या सहायक हो, ऐसे समस्त विधायिकी कार्य करना।

उपरोक्त शिक्षा संस्था के समस्त लक्ष्य एवं उद्देश्य स्पष्ट एवं सुस्पष्ट हैं, इसलिए उनकी अधिक व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस संस्था का निर्माण ही दलितों, शोषितों और बौद्धों में शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए ही किया गया था।

पिपल्स एजूकेशन सोसाइटी के द्वारा महाराष्ट्र में चलाई जा रही शिक्षण–संस्थाओं का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है–

मुबई में –

1. सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस और कामर्स, मुंबई फोर्ट।
2. सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ कामर्स और इकॉनोमिक्स, मुंबई फोर्ट।
3. सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ, मुंबई फोर्ट।
4. डॉ. अम्बेडकर कॉलेज ऑफ कामर्स और इकोनोमिक्स, वडाला।
5. डॉ. अम्बेडकर कॉलेज ऑफ लॉ और इकोनोमिक्स, वडाला।
6. सिद्धार्थ नाइट हाई स्कूल।
7. PES's सैकण्ड्री स्कूल एण्ड जूनियर कॉलेज, नई मुंबई।
8. PES's प्राइमरी मराठी स्कूल, नई मुंबई।
9. PES's सैन्ट्रल स्कूल, नई मुंबई।
10. सिद्धार्थ विहार हॉस्टल, वडाला।

औरंगाबाद –

1. मिलिन्द कॉलेज ऑफ आर्ट्स, नागसेन वन।
2. मिलिन्द कॉलेज ऑफ साइंस, नागसेन वन।
3. डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एण्ड कामर्स, नागसेन वन।
4. डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर कॉलेज ऑफ लॉ, नागसेन वन।
5. PES's कॉलेज ऑफ फिज़ीकल एजूकेशन, नागसेन वन।

6. PES's कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग, नागसेन वन।
7. मिलिन्द मल्टीपरपज़ हाई स्कूल, नागसेन वन।
8. मिलिन्द प्री–प्राईमरी एण्ड प्राईमरी इंग्लिसश स्कूल, नागसेन वन।
9. मॉन्टेसरी रामाबाई अम्बेडकर हाई स्कूल, सीआईडीसीओ (CIDCO)

महाड

1. डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एण्ड कॉमर्स।
2. सूबेदार सवाद्कर विद्यार्थी आश्रम।

पूना

1. डॉ. अम्बेडकर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एण्ड कॉमर्स, येरवदा
2. PES's इंग्लिश मीडियम स्कूल, येरवदा।

पण्डरपुर

1. सन्त गाडगे महाराज चोखामेला विद्यार्थी वसतीगृह (छात्रावास)।
2. गौतम विद्यालय

नांदेड़

1. नागसेन विद्यालय प्राथमिक शाला।
2. नागसेन हाईस्कूल एण्ड जूनियर कॉलेज।

बंगलुरू

1. पीपुल्स एजुकेशन सोसायटीज़ नागसेन विद्यालय।
2. बुद्धिस्ट सेमिनरी
3. दि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इण्डिया (भारतीय बौद्ध महासभा)

पत्र–पत्रिकाओं के द्वारा शिक्षा के प्रसार में योगदान –

डॉ. अम्बेडकर के द्वारा विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के समय यह अनुभव प्राप्त किया गया था कि पत्र–पत्रिकाएं और शिक्षा में उच्चकोटि का सकारात्मक सह–संबंध (high positive correlation) होता है और वे शिक्षा के प्रचार–प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती हैं। इसी बात से प्रेरित होकर उन्होंने निम्नलिखित पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ किया था–

1. 31 जनवरी, 1920, 'मूकनायक साप्ताहिक' का प्रकाशन आरंभ।
2. 3 अप्रैल, 1927 को 'बहिष्कृत भारत' पाक्षिक पत्रिका का आरंभ।
3. 29 जून, 1928 को 'समता' मासिक पत्रिका का आरंभ।

डॉ. अम्बेडकर के द्वारा दलितों, शोषितों, अनुसूचित जातियों और अस्पृश्यों की शिक्षा हेतु जो चिनगारी लगाई गई थी, उसके परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। जिन महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में इन जातियों के युवकों और युवतियों को मात्र चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, जैसे चपरासी, फराश और सफाई कर्मचारी के पद पर मात्र ही रखा जाता था, आज इन जातियों के लोग चांसलर, वाइस चांसलर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसरों के पदों पर कार्य कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय का ही उदाहरण लिया जाए, तो अनुमानतः कहा जा सकता है कि आज इस विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लगभग 1350 व्यक्ति शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। अब इनकी नियुक्ति के नियमों में परिवर्तन की घोषणा की जा चुकी है। उसके उपरांत इस

संख्या में आशातीत वृद्धि होना निश्चित है। इस स्थिति का सम्पूर्ण श्रेय डॉ. अम्बेडकर के अथक प्रयासों को ही जाता है।

डॉ. अम्बेडकर का आर्थिक, वित्तिय और प्रशासनिक योगदान –

भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना डा. अम्बेडकर द्वारा लिखित शोध ग्रंथ रुपये की समस्या–उसका उद्‌भव तथा उपाय और भारतीय चलन व बैंकिंग का इतिहास, ग्रंथों और हिल्स यंग कमीशन के समक्ष उनकी साक्ष्य के आधार पर 1935 ई. में हुआ।

- उनके दूसरे शोध ग्रंथ ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास के आधार पर देश में वित्त आयोग की स्थापना हुई।
- कृषि में सहकारी खेती के द्वारा पैदावार बढ़ाना, सतत विद्युत और जल आपूर्ति करने का उपाय बताया।
- औद्योगिक विकास, जलसंचय सिंचाई, श्रमिक और कृषक की उत्पादकता और आय बढ़ाना, सामूहिक तथा सहकारिता से प्रगत खेती करना, जमीन के राज्य स्वामित्व तथा राष्ट्रीयकरण से सर्व प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी गणराज्य की स्थापना करना।
- सन् 1945 में उन्होंने महानदी का प्रबंधन की बहुउद्देशीय उपयुक्तता को परख कर देश के लिए जलनीति तथा औद्योगीकरण की बहुउद्देशीय आर्थिक नीतियां जैसे नदी एवं नालों को जोड़ना, हीराकुण्ड बांध, दामोदर घाटी बांध, सोन नदी घाटी परियोजना, राष्ट्रीय जलमार्ग, केन्द्रीय जल एवं विद्युत प्राधिकरण बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त किए।
- सन् 1944 ई. में प्रस्तावित केन्द्रीय जल मार्ग तथा सिंचाई आयोग के प्रसताव को 4 अप्रैल 1945 को वाइसराय द्वारा अनुमोदित किया गया तथा बड़े बांधों वाली तकनीकों को भारत में लागू करने हेतु प्रस्तावित किया।
- उन्होंने भारत के विकास हेतु मजबूत तकनीकी संगठन का नेटवर्क सांचा प्रस्तुत किया। उन्होंने जल प्रबंधन तथा विकास और नैसर्गिक संसाधनों को देश की सेवा में सार्थक रूप से प्रयुक्त करने का मार्ग प्रशस्त किया।

सामाजिक सुरक्षा एवं श्रम कल्याण –

वायसराय की कौंसिल में श्रम मंत्री की हैसियत से श्रम कल्याण के लिए 12 घण्टे से घटाकर 8 घण्टे कार्य–समय, समान कार्य, समान वेतन, प्रसूति अवकाश, संवैतनिक अवकाश, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, स्वास्थ्य सुरक्षा, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 बनाना, मजदूरों एवं कमजोर वग्र के हितों के लिए स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन कर 1937 के मुंबई प्रेसिडेंसी चुनाव में 17 में से 15 सीट जीती।

कर्मचारियों राज्य बीमा के तहत स्वास्थ्य, अवकाश, अपंग, सहायता, कार्य करते समय आकस्मिक घटना से हुए नुकसान की भरपाई करने और अनेक सुरक्षात्मक सुविधाओं को श्रम कल्याण में शामिल किया गया।

कर्मचारियों को दैनिक भत्ता, अनियमित कर्मचारियों को अवकाश की सुविधा, कर्मचारियों के वेतन श्रेणी की समीक्षा, भविष्य निधि, कोयला खदान तथा भाई का खनन में कार्यरत कर्मियों को सुरक्षा संसोधन विधेयक सन् 1944 में पारित करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारतीय सांख्यिकी अधिनियम पारित कराया ताकि श्रम की दशा, दैनिक मजदूरी, आय के अन्य स्रोत, मुद्रास्फीति, श्रण, आवास, रोजगार, जमापूँजी तथा अन्य निधि व श्रम विवाद से संबंधित नियम संभव कर दिया। नवम्बर 8, 1943 ई. को उन्होंने 1926 से लंबित भारतीय श्रमिक अधिनिमय को सक्रिय बनाकर उसके तहत भारतीय श्रमिक संघ संशोधन विधेयक प्रस्तावित किया और श्रमिक संघ को सख्ती से लागू कर दिया। स्वास्थ्य बीमा योजना, भविष्य निधि अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और विविध हड़ताल के अधिनियमों को श्रमिकों के कल्याणार्थ निर्माण किया।

भारत में Employment Exchange की स्थापना डा. अम्बेडकर के विचारों की वजह से ही हुई थी।

वर्तमान में जो चुनाव आयोग पूरे भारत में चुनाव पर नजर रखता है तथा जिससे भारत के प्रत्येक राष्ट्रीय तथा राज्य सतरीय दल उसके अनुसार चलते हैं उस स्वतंत्र चुनाव आयोग भी डा. अम्बेडकर की देन है।

निष्कर्ष –

उल्लिखित सभी तथ्यों से निर्धारित हो जाता है कि डा. बी.आर अम्बेडकर आधुनिक भारत के राष्ट्रनिर्माता थे तथा राष्ट्रवादी थे। उन्होंने सम्पूर्ण भारतवर्ष के उत्थान के लिए प्रारम्भ से प्रयत्न किया। उन्होंने मुख्यतः समाज के वंचित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, महिलाओं इत्यादि का विशेष ध्यान रखा क्योंकि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में समाज के समस्त वर्गों की भागीदारी अवश्य होनी चाहिए। उन्होंने भारत वर्ष के समस्त व्यक्ति, वर्गों को समान अवसरों का प्रावधान किया संविधान में तथा अन्य कार्य किए जो स्वतंत्रता के पश्चात् आधुनिक भारत के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक थे। उन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण कथन "हम भारतीय हैं प्रथमत और अंततः।" उनके सबसे बड़ी भारतीय राष्ट्रीयता को सर्वोच्च स्थान देता है।

डॉ. अम्बेडकर ने भारत को बिखरने से बचाया। प्रत्येक भारतीय के मन में राष्ट्रीयता की सोच उत्पन्न की तथा उनके सभी कार्य राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके कार्य और नीतियां भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में आज भी प्रासंगिक हैं।

संदर्भ –

1. धनंजय कीर (अनुवाद गजानन सुर्वे) "डा. बाबा साहेब अंबेडकर जीवन चरित्र, 1996, पोपुलर प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. विवेक कुमार "राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का आरम्भ था संविधान निर्माण" दलित दस्तक, दिसम्बर 2015, नई दिल्ली।
3. रजनी तिलक "डा. अम्बेडकर और महिला आंदोलन, संपादित पुस्तक, बुक्स इंडिया, 2012, नई दिल्ली।
4. शिव दयाल "भारतीय राष्ट्रवाद की भूमिका आर्टीकल, जनसत्ता, 29.01.2014, नई दिल्ली।
5. डा. धर्म कीर्ति "डा. अम्बेडकर द्वारा शिक्षा के प्रसार हेतु किए गए सतत् प्रयास" सामाजिक न्याय संदेश, डा. अम्बेउकर प्रतिष्ठान, भारत सरकार, दिसम्बर, 2014, नई दिल्ली।

6- www.google.com

युगांतर अंतर्राष्ट्रीय शोध–पत्रिका
खंड–8, अंक–30, वर्ष–2019 (जनवरी, 2019) आईएसएसएन : 2320–2467, आईएफः 5.2

जनजातीय सामाजिक संगठन, अपराध एवं विद्रोह का एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ. हेमलता माहवार
एसिस्टेंट प्रोफेसर
सामाजिक विज्ञान विभाग
महाराणा प्रताप, सरकारी पीजी कॉलेज,
छत्तीसगढ़, राजस्थान

सारांश –

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी होने के नाते वह किसी न किसी समूह, समुदाय व समाज का हिस्सा बनकर अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्रयास करता है। जैसे – सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भौतिक, सांस्कृतिक एवं अन्य वस्तुओं को प्राप्त करने के लिये समूह / समुदाय में अन्तः तथा अंतक्रिया करके पूर्ति करता है। एकाकी मनुष्य जीवन यापन तो कर सकता है लेकिन अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। इसी भाँति आदिम समाजों/ जनजातीय समुदायों में भी यही बात लागू होती है।

कुंजी शब्द – जानजातीय एवं पर्यावरण, भूमण्डलीकरण, अपराध, वन औषधि, वनाधिकार, भूपथकरण तथा जनजातीय विद्रोह।

प्रस्तावना –

वास्तव में जनजाति वह क्षेत्रीय समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। उनकी एक पृथक भाषा–शैली एवं संस्कृति होती है। सामाजिक नियम और आर्थिक कार्य आदि विषयों में सामान्यतः एक सूत्र में बंधे रहते हैं। साथ ही खान–पान, रहन–सहन, विवाह, व्यवसाय एवं उद्योग के विषय में कुछ निषेधों का पालन करते हैं। सामाजिक–आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भिन्न समुदाय इनकी प्रमुख विशेषता हैद्य विगत 65–70 वर्षों में आदिवासियों की सभ्यता, कला, मूल्य आदर्श प्रतिमान तथा संस्कृति का अवलोकन किया जाये तो यह समुदाय सामाजिक–आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से सर्वाधिक संकट में है। विद्वानों एवं नृवेत्ताओं का मानना है कि पर्यावरण विसंतुलन का तात्कालिक नकारात्मक प्रभाव आदिवासियों पर ही पड़ा है। जुलाई 1991 में भूमण्डलीकरण औपचारिक तौर पर भारत में प्रवेश किया, जिसके परिणामस्वरूप आदिवासियों एवं गैर–आदिवासियों में अंतःकरण की मात्रा एवं उनके घनत्व का दबाव काफी तेजी से बढ़ा है। आदिवासी लड़कियाँ व महिलाएँ चाहे भारत के किसी भी भूभाग में निवास करती हों या किसी भी प्रजाति, भाषा–शैली समूह की हों, उन पर इस अंतःकरण की प्रक्रिया का व्यापक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उनके विरूद्ध नाना प्रकार के अपराधों में बेहताशा वृद्धि हुई है जैसे – बलात्कार, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, हत्या, अपराध, चोरी–डकैती, मानव–तस्करी, जादू–टोना, डायन का आरोप, अत्याचार एवं उत्पीड़न आदि। ज्यादातर देखा जाये तो आदिवासी भोली–भाली लड़कियाँ तथा महिलाएँ कार्य स्थलों पर (ईंट–भट्टों, चायबगानों, फैक्ट्री, खदानों) किसानों/ मालिकों द्वारा / यौन–शोषण, बलात्कार तथा छेड़खानी की शिकार होती हैं (यूनीसेफ रिपोर्ट, 1999), **(सेन एवं नायर, 2005ः 110–134)।**

खासी, (बेड़िया तथा बांछड़ा) विमुक्त जातियाँ अभावग्रस्तता तथा दरिद्रतता के कारण परंपरागत रूप से देह व्यापार के पेशों को सदियों से अपना कर जीवन–यापन कर रही हैं। देह व्यापार के विचौलियों द्वारा अपने निजी लाभ के लिये महिलाओं की तस्करी करके अवैध देह व्यापार को अंजाम दिया जाता है जिससे ये आदिवासी लड़कियाँ अपने अस्तित्व को खोती जा रही है। इसी तरह आदिवासी महिलाओं को जादू–टोना, डायन, जोगन, चुड़ेल आदि जैसे झूठे आरोप लगाकर उस महिला के साथ तरह–तरह से अत्याचार किया जाता है। जैसे – निर्वस्त्र करके गली–मुहल्लों में घुमाना, मुण्डन करना, जानवरों के मलमूत्र खाने के लिये बाध्य करना तथा कभी–कभी सामूहिक दुष्कर्म करना आदि घटनाएँ होती रहती है (इन्दु, 4998ः 21)

सदियों से जनजातियों का वन एवं वन औषधियों से परम्परागत संबंध रहा है और उनकी आजीविका पूर्णतया इसी पर टिकी रही है। जैसे – वनोत्पाद से खाद्य संग्रहण, समुदायों के लिये आवास एवं आश्रय, घरेलू अवश्यक उपकरणों का निर्माण, ईंधन की आपूर्ति, मकान एवं बाड़ बनाने हेतु लकड़ियाँ, पशुओं के लिये चारा, रोगोपचार हेतु जड़ी–बूटी एवं अन्य औषधि, आभूषणों का निर्माण एवं अन्य भौतिक संसाधनों की प्राप्ति आदि (वन्दना, 1997: 9–42)।

लेकिन कालांतर में वन नीति तथा वनों के राष्ट्रीयकरण के कारण वनोत्पाद के उपभोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया तथा कई अधिकार छीन लिये गये द्य परिणामतः रोजी–रोटी की समस्या उत्पन्न होने लगी। इस परिस्थिति में आदिवासी अपने मूल स्थान से पलायन करने लगे। इनकी रोजी–रोटी के साथ विस्थापन, पुनर्वास, संस्कृतिकरण, समाजीकरण तथा बाहूय समुदाय से सामंजस्य स्थापित करने की समस्या उत्पन्न हुई है। जनजातियों में निर्धनता का स्तर अत्यंत सोचनीय है, उनके परम्परागत जीवन यापन के साधन अस्त–दव्यस्त हो गये हैं।

इन संसाधनों पर इनके परंपरागत अधिकार थे। शासन ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे वे उत्पादन के साधनों से अलग हो गये, उनकी निरंतरता एवं गतिशीलता भी प्रभावित हुई। उत्पादन कार्यों में लगे हुए लोग इससे वंचित हो गए। जनजाति अपने मूल कार्यों को छोड़कर मजदूरी करने लगी हैं। उन्हें न तो न्यूनतम मजदूरी दी जाती है और न ऋण ही मुहैया करवाया जाता है तथा किश्त संबंधी अन्य सुविधाएँ ही दी जाती है (एल्विन, 1963: 11)

जनजातियों के स्वाधीनता का सौदा किया जाता है इन्हें मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हीन और वंचित होने के लिये विवश किया जाता है, जिससे इनके आत्म–सम्मान की भावना में कमी आई है।

वन से संबंधित परम्परागत वनाधिकार छीन लिये गये हैं। बड़े–बड़े बाँध तथा वृहद् विकास परियोजनाओं के फलस्वरूप जनजातियों को अपने मूल स्थान छोड़कर विस्थापित होना पड़ रहा है। लचर विधि व्यवस्था के कारण न तो इन्हें उचित मुआवजा ही मिला है और न ही पुनःस्थापना के लिये नियोजित प्रयास ही किये गये हैं। निर्धनता इनकी गम्भीर समस्या है। इसलिये इनमें सामाजिक समस्या जन्म लेती है। इससे अलगाववाद की प्रवृत्तियाँ विकसित होती हैं। समाज में अक्सर उथल–पुथल का खतरा मण्डराने लगता है। जिससे जनजातीय विद्रोह तथा नक्सलवाद की समस्या को बढ़ावा मिलता है (डुंगडुंग, 203: 183)।

जनजातियों का अपनी भूमि से अत्यधिक लगाव होता है चाहे भूमि उपजाऊ हो या बंजर वे इसे आसानी से नहीं छोड़ना चाहते हैं क्योंकि इस पर कृषि कार्य द्वारा इनकी रोजी–रोटी टिकी रहती है। मध्यप्रदेश के जनजातीय विकास खण्डों में हुए आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि एक जनजातीय परिवार के पास औसतन 15.59 एकड़ भूमि थी। राजस्थान सरकार द्वारा जनजातीय सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि डुंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिले में औसत रूप से जनजातियों के पास 4.95 एकड़ भूमि थी। इसी तरह मणीपुर में ऐसे ही सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि औसत रूप से प्रति परिवार 2.80 एकड़ भूमि थी, लेकिन सरकार की नवीन वन नीति ने भूमि अलगाव की समस्या को बढ़ा दिया है (नदीम, 1983: 159)

यदि पूर्वोत्तर (पहाड़ी) क्षेत्र के जनजातियों को छोड़ दिया जाये तो समस्त मध्य क्षेत्रीय मैदानी बहुसंख्यक जनजाति किसी न किसी रूप में ठेकेदारों, साहूकारों, व्यापारियों तथा सीमांत किसानों के ऋण के नीचे दबे हुए हैं। इनके सीधे–सादे व्यवहार तथा भोलेपन को देखकर ठेकेदार, साहूकार तथा व्यापारी बिना किसी शर्त के ऋण दे देते हैं और भविष्य में यह ऋण कभी न भर पाने वाली गहरी खाई बन जाती है। इनकी कई पीढ़ियाँ मजदूरी करके भी इस ऋण को चुका नहीं पाती हैं। फलस्वरूप इनकी जमीन एवं घरेलू सामानों को उनके पास गिरवी रखना पड़ता है और धीरे–धीरे जमीन भी उनके द्वारा जब्त कर ली जाती है या इन्हें बंधुआ मजदूर के रूप में काम करने के लिये बाध्य किया जाता है। आदिवासी महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर यौन शोषण संबंधी धटनाएँ होती है। अक्सर यह घटनाएँ सामाचार पत्रों के माध्यमों से कभी–कभी प्राप्त होती रहती हैं।

भूमि अलगाववाद की समस्या अंग्रेजी एवं राजवाड़ा शासन काल से ही प्रारंभ हो गयी थी। जनजातीय क्षेत्रों में जमींदारी प्रथा तथा रैयतवाड़ी प्रथा लागू कर दी गई। कालांतर में जनजातियों को

ज्ञात हुआ कि ये वन, जल, जमीन उनकी नहीं है। उन्हें कृषि के एवज में लगान देना पड़ता था। धीरे–धीरे ठेकेदार, साहूकार तथा व्यापारी उनके क्षेत्रों में प्रवेश करके जड़े जमा रहे थे। उनके सीधे एवं सरल स्वभाव को देखकर ऋण देना प्रारंभ कर दिये थे तथा आदिवासी ऋण के बोझ से कभी निजात नहीं हो पाते थे जिसके कारण अपनी ही भूमि से बेदखल होने लगे।

झूम खेती की समस्या–अधिकतर जनजातियाँ अपने खाद्य उत्पादन के लिये अविकसित तथा परंपरागत ढंग अपनाते थे जिसे झूम या डाहिया, पैडा कृषि कहा जाता है। जिसमें कृषि स्थलों के जंगल झाड़ियों को काट दिया जाता था। लकड़ी या झाड़ सूखने पर आग लगा दिया जाता था तथा ठण्ड़े राख को खेती योग्य क्षेत्र में सर्वत्र बिखेर दिया जाता था और कुदाली या फावड़े द्वारा मोटे अनाजों की खेती की जाती थी जिसे स्थानांतरित कृषि कहते थे। इससे उत्पादन कम मात्रा में होता था। यह कृषि परम्परागत जरूर थी लेकिन इस प्रकार की अर्थव्यवस्था से उनकी रोजी–रोटी चलती थी। वर्तमान में इस प्रकार की कृषि पर शासन द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। (एलविन, 1943: 7–11), (शर्मा, 1980: 159) (मजूमदार एवं मदान, 1984: 263–65)।

युवा गृह का पतन – जनजातियों में युवा गृह एक प्रमुख सामाजिक संरचना थी। जिसे विभिन्न जनजातियों में भिन्न–भिन्न नामों से पुकारा जाता है। जैसे–गोंड़–मुरिया का घोटुल, मुंडा / हो / बिहोर का गिटिओरा, उरांव का घुमकुरिया, भुइंया का धांगरबासा कहा जाता है। अविवाहित युवक–युवतियाँ इस घोटुल में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सोस्कृतिक, शैक्षणिक तथा अन्य गतिविधियों को शादी के पूर्व सीखते थे।यह उनकी परंपरागत शिक्षण संस्था थी, जहॉ अनौपचारिक तौर से शिक्षा दी जाती थी। अब इस प्रकार की शिक्षा, व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। अब इनके मध्य शिक्षा–दीक्षा संस्कार संबंधी समस्या उत्पन्न होने लगी है।

ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म प्रचार करने के पहले जनजातियों का मूल धर्म प्रतीकात्मक रूप से टोटमवाद था जिसमें किसी भी जीव–जंतु/पेड़–पौधे तथा प्रकृति को आराध्य देव के रूप में पूजा जाता था। धर्म के रूप में उनका अस्तित्व जादू–टोना, डायन–जोगन, अभिचार, झाड़–फूँक तथा ओझा–बैगा तक ही सीमित था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में जनजातीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरीयों का आगमन हुआ। वैसे इनका प्रवेश 1819 में ही हो गया था। पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे असम, प. बंगाल के आदिवासियों तथा मध्य क्षेत्र के उरांव, मुण्डा तथा खरिया जनजातियाँ जो इनके निकटवर्ती सम्पर्क में रहे वे धीरे–धीरे प्रलोभन में आ कर ईसाई धर्म को अंगीकार कर लिए। ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म की आड़ में विशेषकर इनके रहन–सहन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य में कुछ सुधार तो हुआ लेकिन उतनी आशाजनक रूप से नहीं। बदले में जनजातियों की कला, मूल संस्कृति व भाषा–शैली का विलोपन हुआ अब वे पूर्ण रूप से न तो जनजाति कहला पा रहे हैं और न ही ईसाई। अब वे दोहरी स्थिति की पाट में पिसते जा रहे हैं (रॉय, 1919: 28)।

भाषा संबंधी समस्या –

आदिवासियों में बाह्य सम्पर्क के कारण द्विभाषावाद की समस्या खड़ी हो गई है। कहीं–कहीं जनजाति नयी भाषा को सीखने के लिये इतने उतावले हो जाते हैं कि अपनी मूल भाषा–शैली एवं संस्कृति को भी भूलते जा रहे हैं। प्रत्येक भाषा का मूल्य, प्रतीक और अर्थ भिन्न–भिनन होते हैं। इस प्रकार आदिवासियों के जीवन में एक खालीपन आ गया है परिणामतः न तो वे बाहरी भाषा के मूल्य में ही आ पा रहे हैं और न ही अपनी भाषा के संदर्भों को सुरक्षित रख पा रहे हैं।

पूर्व में जनजातियों का अपना एक राजनीतिक संगठन (जनजाति पंचायतें) हुआ करता था जिसमें समूह के विवादों को आपसी सलाह मशवरा करके सुलझा लिया जाता था। जनजाति पंचायत के निर्णयों को ही अंतिम माना जाता था। कोर्ट कचहरी और न्यायालय के चक्कर लगाने नहीं पड़ते थे, लेकिन अब इन अशिक्षित आदिवासियों के लिये अदालतों पर आधारित आधुनिक न्याय व्यवस्था की पेचीदगी उनकी समझ से बाहर है। भोले–भाले लोग इसमें फंस कर लुट जाते हैं। इस मामले में प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी जैसे–वन अधिकारी, पुलिस, चौकीदार, थानेदार, पटवारी, राजनीतिक संगठन जटिलता बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। इस प्रकार परम्परागत न्याय व्यवस्था में भी दरारें पड़ने लगी हैं। आधुनिक एवं पढ़े–लिखे आदिवासी परम्परागत पंचायती न्याय व्यवस्था के फैसलों की उपेक्षा करने लगे हैं **(शर्मा पूर्व उद्घृत 227)।**

विभिन्न अपराधों को बढ़ावा–

वन उत्पाद पर प्रतिबंध तथा राष्ट्रीय वन नीति परिवर्तन के फलस्वरूप जनजाति अपने परम्परागत व्यवसाय से विमुख होकर आपराधिक गतिविधियों को अपनी रोजी–रोटी का साधन बना रहे हैं। चोरी, ठगी डकैती, लूटपाट करना इनका प्रमुख व्यवसाय बनता जा रहा है। जैसे – उत्तर प्रदेश की बवरिया जनजाति, मध्यप्रदेश की (कंजर एवं पारधी) अनुसूचित जाति, झाबुआ एवं अलीराजपुर की भील जनजाति मौका देखकर राहगीरों को निशाना बनाते हैं। ये अपराधी बहुमूल्य वस्तुएँ सोना चौंदी जेवरात ही नहीं लूटते अपितु लुटेरों को जो मिला उसे ले लेते हैंद्य ऐसे कार्यों में ये लूटेरे गिरोह में रहकर अंजाम देते हैं। विरोध करने या स्वेच्छा से सामान न देने की स्थिति में कभी–कभी ये उन्हें कत्ल भी कर देते हैं (शर्मा, 1980:2) कभी–कभी दो पहिया वाहनों को बाजार–हाट या घर से चोरी करके ले जाते हैं तथा मोटी रकम फिरौती के रूप में मांग करते हैंद्य कभी–कभी कंजर एवं पारधी अबोध बच्चों का अंग–भंग करके उन्हें शहरों तथा सार्वजनिक भीड़–भाड़वाले स्थलों पर भिक्षा मांगने के लिए बाध्य करते हैं। अक्सर कठपुतली एवं सॉप नचाने वाले जनजातियों द्वारा इस अपराध को अंजाम दिया जाता है।

वास्तव में यह समस्या जीवन निर्वाह की समस्याओं से जुड़ा हुआ है। इसका मुख्य कारण गृह उद्योग का हास, वन उत्पादों पर प्रतिबंध, हस्तशिल्प व हस्त–करधा उद्योग का पतन एवं जनजातियों के परम्परागत व्यवसाय पर प्रतिबंध होना आदि है। इसी तरह जंगली जानवरों का शिकार करके उसके मांस तथा खालों को बेचना, बहुमूल्य लकड़ियों को काट कर बेचना कुछ आदिवासियों का धंधा बन गया है। ऐसे मामलों में समाज के उच्च भ्रष्ट अधिकारियों और अपराधी तत्वों के साथ साठगांठ बन जाती है जो उन्हें ऐसे अपराधों के लिये प्रेरित करते हैं (शर्मा, 1988ः 135–468)।

जनजातीय विद्रोह –

वास्तव में जनजातियों की मुख्य समस्याएँ सामाजिक–आर्थिक, सांस्कृतिक संकट, बेरोजगारी तथा शोषण है। जब कोई जनजाति इसका कारण समझने में या उचित समाधान ढूँढ़ने में विफल होती हैं तब वे हताश और निराश हो जाती हैं। अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिये वे विद्रोह के रास्ते खोज निकालते हैं। नागा, मिजो, संथाल, उरांव, मुण्डा, गोण्ड और भील जनजातियों में विद्रोह का लम्बा इतिहास रहा है। सबसे नवीनतम क्रांति नक्सलवादी क्रांति थी जो पश्चिम बंगाल के आदिवासी नक्सलवादी प्रणेता चारू मजूमदार के नेतृत्व में प्रारंभ हुई। इसके प्रेरक कट्टर मार्क्सवादी कम्युनिष्ट थे जिनका विश्वास था कि क्रांति केवल बंदूक की नोंक से ही हो सकती है। यह क्रांति गाँवों एवं शहरों तक पहुँची। लेकिन यह सच है कि भारतीय प्रशासनिक तंत्र इस क्रांति को कुचलने में सफल रहा है। तथापि आदिवासियों ने सिद्ध करके दिखा दिया कि शोषण से उत्पन्न आक्रोश बारूद के समान है जो किसी भी चिंगारी से विस्फोट में बदल सकता है **(बेली, 4968ः 68–72)।**

अध्ययन का उद्देश्य –

प्रस्तुत शोध अध्ययन में जनजातीय सामाजिक संगठन, जनजाति समुह, महिलाओं से संबंधित अपराध के तथ्य, भूमि अलगाववाद, परम्परागत व्यवसाय बाहय संस्कृति से सम्पर्क की समस्या आदि से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया गया है। शोध अध्ययन में उन समस्याओं एवं चुनौतियों को खोजने का प्रयास किया गया है, जो आदिवासी मालिओं के विरूद्ध उनके जीवन के प्रत्येक पहलुओं के समक्ष घटित होती है। प्रस्तुत शोध को अग्रांकित उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए सम्पन्न किया गया है।

(1) आदिवासियों एवं गैर आदिवासियों में अन्तःरूकरण की मात्रा एवं उनके घनत्व के दबाव का अध्ययन करना तथा उनके विरूद्ध घटित होने वाले अपराधों को जानने की कोशिश करना।

(2) जनजातीय अभावग्रस्तता तथा दरिद्रता के कारण उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं को जनने की कोशिश करना तथा उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करना।

(3) वन पर्यावरण, वन औषधि, वनोत्पाद की निर्भरता से संबंधित तथ्यों को समझना तथा उनका विश्लेषण करना।

(4) भूमि अलगाववाद से उत्पन्न समस्याओं को समझने की कोशिश करना।

(5) झूम खेती की समस्या (परम्परागत कृषि)।

(6) समाज में जनजातीय महिलाओं की गतिशीलता, आत्मनिर्भरता, दायित्व निर्वहन में उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करना ।

(7) जनजातीय विद्रोह एवं विभिन्न अपराधों को बढ़ावा देने वाली तथ्यों को जानने की कोशिश करना तथा उनके समाधान के लिये आवश्यक कदम उठाना तथा उन बिन्दुओं को भी शामिल करना जो जनजातीय मलिएं के हित में हो।

अध्ययन क्षेत्र एवं समग्र :–

प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र म.प्र. के हरदा जिले के तीन विकासखण्ड– खिरकिया, हरदा एवं टिमरनी तथा प्रत्येक विकासखण्ड के एक–एक ग्राम प्रतापपुरा, कनारदा, तथा छिरपुरा में निवासरत गोंड एवं कोरकू जनजातीय महिलाओं के विशेष संदर्भ में है।

निदर्श का चुनाव जनगणना पद्धति के माध्यम से किया गया है जिसके अंतर्गत अध्ययन के उन सभी ग्रामों के परिवारों को सम्मिलित किया गया है, जो जनजातीय समुदाय से संबंधित हैं। निदर्श के लिये 200 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। प्राथमिक तथ्यों की संकलन के लिये साक्षात्कार अनुसूची, प्रत्यक्ष अवलोकन, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, समूह चर्चा, गैर अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण शिक्षक, गैर सरकारी संगठन एवं द्वितीयक स्त्रोत के रूप में थाना, पुलिस रिकार्ड ब्यूरो इत्यादि का प्रयोग किया गया है।

उपकल्पना :–

सामाजिक शोध के अंतर्गत तथ्यों को नियोजित और वस्तुनिष्ट रूप में अध्ययन करने के लिये उपकल्पना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वास्तव में उपकल्पना अध्ययन की पूर्व एक कामचलाऊ सामान्यीकरण की प्रक्रिया है। इसके द्वारा ही शोध अध्ययन में कार्यकरण–संबंधों की पूर्व सम्भावना का आंकलन किया जा सकता है। प्रस्तुत शोध प्रबंध के अंतर्गत कुछ उपकल्पनाओं का निर्माण किया गया है तथा शोध विश्लेषण के माध्यम से इसकी सत्यता को प्रयोग विधि के रूप में दिखाया गया है।

निष्कर्ष :–

स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर वर्तमान तक जनजातियों के विकास, उद्धार एवं कल्याण के लिये कई विकास योजनाओं तथा उप–योजनाओं को लागू किया गया है। राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के द्वारा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सरकारी ऋण, जीविकोर्पाजन के विभिन्न साधन आदि पर विशेष छूट प्रदान करके इन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने के लिये कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के पश्चात् भी 95 प्रतिशत आदिवासी अभावग्रस्ता, दरिद्रता और ऋणग्रस्तता के बोझ से दबे हुए हैं ।

वे इन सरकारी योजनाओं का उचित लाभ नहीं ले पा रहे हैं द्य कई आदिवासियों के राशन कार्ड एवं परिचय पत्र भी नहीं बने हैं। जिस स्थान पर उनका घर बना है वह भी अवैध कब्जे की भूमि है। इसका कोई वैधानिक पट्टा अथवा दस्तावेज नहीं है। अशिक्षा, अज्ञानता तथा जागरूकता की कमी के कारण जनजाति सरकारी नियम, कानूनी पेचिदगियों से दूर रहना चाहते हैं। माता–पिता की अशिक्षा का असर इनके बच्चों पर भी पड़ रहा है द्य जिसके कारण नवीन पीढ़ी के बच्चे भी प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा तक पढ़ाई करके छोड़ देते हैं। शिक्षा ज्ञान का मूलाधार ही नहीं अपितु जीवन स्तर को उन्नत करने का एक माध्यम भी है। शिक्षा और ज्ञान के अभाव में किसी भी समुदाय अथवा समाज में विकास संभव नहीं है।

संदर्भ –

Bailey, F.G. (1968); Land Alienation and Tribal People's Rights; A Case Study of Mayurbhanj, Orissa, PP. 68-72.

Dungdung, Gladson (2013); Movements against Mining based over Industrialisation in Tribes; SOGIP Coference, Paris: June.

Elvin, Varrier (ed, 1963): A New deal for Tribal India and the Aboriginals; New Delhi: Ministry of Home Affairs, Publications Division.

Husain, Nadeem (1983); Tribal India today; New Delhi: Harnam Publications.

Murab, Indu (1998): Tribal Witch-Craft of Madhya Pradesh; Tribal Research Institute, Bhopal; Bulletin, Vol. XXVI, No. 2.

Roy, S.C. (1919): Tribes and their Indigenous People, New Delhi: Mittal Publications.

Sen, Shankar and D.M<. Nair (2005): Trifficking in Women and Children in India (ed): Principal Research Investigator and Principal Author, Orient Longman.

Sharma, V.P. (1988): The Hamar: Forest Development of North-East India, Paper-12th ICAES Jagran.

Singh, Vandana (1997): Tribal Health in the Betul District, Bhopal: Bulletin of the Tribal Research and Development Institute, Vol. XXVII, June, PP. 9-12.

शर्मा, बी.डी. (1980)ः आदिवासी विकासः एक सैध्दांतिक विवेचन, भोपालरू म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी पृष्ठ–159।